रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 20—दिसम्बर 26, 2003 (अग्रहायण 29, 1925)
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 20—DECEMBER 26, 2003 (AGRAHAYANA 29, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई, दिनांक 25 नवम्बर 2003

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं॰ एफ॰(8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं॰ 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 18 के अनुसरण सितम्बर 2003 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टयता आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गयी है। भाग क में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग ख में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची "क"

प्रतिभूतियों की सं॰	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
कुछ नहीं					

ए. एस. मोहिनाणी
सहायक प्रबंधक

1—379 GI/2003

सूची " ख "

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		भायखला ,मुंबई सर्कल 10% राहत पत्र 1995			
बी.सी.2549 (जी.पी.एम.)	रु.6,000/-	मनीपुर उपेन्द्र किनी राजारमानी उपेन्द्र किनी	20.1.1998	मनीपुर उपेन्द्र किनी राजारमानी उपेन्द्र किनी	06.25.73 9/6/2003
बी.सी. 3145 (जी.पी.एम)	रु.3,00,000/-	निर्मला सुधीर शाह भानु कांतीलाल शाह सरला भानु शाह	19.5.1998	अमीत भानु शाह भानु कांतीलाल शाह सरला भानु शाह	06.25.66 24/1/2003
बीसी- 12754 (जी.पी.एच)	रु.3,00,000/-	हीरालक्ष्मी नगीनदास संघवी कुमुद कृष्णाकांत वोरा हर्षा नगीनदास संघवी	1.8.1998	हीरालक्ष्मी नगीनदास संघवी कुमुद कृष्णाकांत वोरा हर्षा नगीनदास संघवी	06.25.79 18/7/2003
बी.सी.12685 (जी.पी.एच)	रु.10,00,000/-	प्रदीप नवनीतलाल मुछला शोभना प्रदीप मुछला	30.7.1998	प्रदीप नवनीतलाल मुछला शोभना प्रदीप मुछला	06.25.78 14/7/2003
		नई दिल्ली सर्कल 9% आर..बी 1999 (एम)			
डीएचएन-000695	रु.1,00,000/-	गोपा सेन गुप्ता और किशोर सेन गुप्ता	अग्रिम तिथि के ब्याज वारण्ट आरम्भ में ही जारी किए जा चुके हैं ।	गोपा सेन गुप्ता और किशोर सेन गुप्ता	पीडीओ/डीटी/एलएन-1/2003 दिनांक 2.8.2003

(ए.एस.मोहिनाणी)
सहायक प्रबंधक

यूको बैंक
कार्मिक विभाग
प्रधान कार्यालय, कोलकाता
12, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट

कोलकाता-700 001, दिनांक 3 दिसम्बर 2003

सं. पीइएन 1/2003 - बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूको बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में संशोधन करके एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात -

1. (1) ये विनियम यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2003 कहलाएंगे।

(2) इन विनियमों में अन्यथा स्पष्टतया उपलब्ध को छोड़कर, ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में,

(क) विनियम 2 में,

(I) उप-विनियम (ढ) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(ढ) 'कर्मचारी' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो बैंक की सेवा में नियोजित है, चाहे स्थायी आधार पर पूर्णकालिक या वेतनमान पर स्थायी आधार पर अंशकालिक कर्मकार के रूप में हो या ऐसा अधिकारी जो इन विनियमों को चुनता है और इनसे शासित होता है लेकिन इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जो संविदात्मक आधार पर या दैनिक वेतन के आधार पर या समेकित वेतन के आधार पर नियुक्त किया गया हो";

(II) उप-विनियम (ण) में, खण्ड (ग) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :-

"(ग) पुत्र या अविवाहित पुत्री या विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जिसने पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, तथा कानूनी रूप से गोद लिया गया पुत्र या पुत्री।"

"(घ) कर्मचारी के जीवित रहते हुए उस पर पूर्णतया आश्रित माता-पिता, बशर्ते मृत कर्मचारी ने अपने पीछे न तो विधवा/विधुर या बच्चा छोड़ा हो।"

(III) उप-विनियम (थ) में निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात,

(थ) "वेतन" में शामिल है

"(क) जो कर्मकार 1 जनवरी,1986 को या उसके पश्चात, लेकिन 1 नवंबर,1992 के पूर्व, या तो सेवानिवृत्त हो गया था या उसकी मृत्यु हो गई थी, और जो

अधिकारी 1 जनवरी,1986 को या उसके पश्चात, लेकिन 1 जुलाई,1993 के पूर्व, या तो सेवानिवृत्त हो गया था या उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके मामले में :-

(i) मूल वेतन और गत्यवरोध वेतनवृद्धियां, यदि हों, और

(ii) भविष्य निधि में अंशदान करने तथा महंगाई भत्ते के भुगतान के प्रयोजन हेतु गणना में लिए गए सभी भत्ते;

(ख) जो कर्मकार 1 नवंबर,1992 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हो गया था, या जिसकी मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो गई थी, और जो अधिकारी 1 जुलाई, 1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हो गया था या जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसके मामले में :-

(i) मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियां, यदि हों; और

(ii) भविष्य निधि में अंशदान करने तथा महंगाई भत्ते के भुगतान के प्रयोजन हेतु गणना में लिए गए सभी भत्ते; और

iii) नियत वैयक्तिक भत्ते का वेतनवृद्धि घटक;

IV) 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक के 1148 प्वाइंट तक संगणित महंगाई भत्ता।";

"(ग) जो कर्मचारी 1 अप्रैल, 1998 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हो गया था या जिसकी सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई थी, उसके मामले में :

(i) मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियां, यदि हों; और

(ii) भविष्य निधि में अंशदान करने तथा महंगाई भत्ते के भुगतान के प्रयोजन हेतु गणना में लिए गए सभी भत्ते; और

(iii) नियत वैयक्तिक भत्ते का वेतनवृद्धि घटक; और

(iv) उस पर महंगाई भत्ता, जो श्रृंखला 1960= 100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक संख्या1616 अंकों तक परिकलित किया जाता है।

<u>स्पष्टीकरण</u>

इस खण्ड के प्रयोजन के लिए मूल वेतन, वेतन के अन्य घटक और नियत वैयक्तिक भत्ते का अर्थ होगा कर्मचारियों द्वारा आहरित वे मूल वेतन, वेतन के अन्य घटक और नियत वैयक्तिक भत्ते जो 1.11.1997 के पूर्व (कर्मकारों के मामले में) तथा 1.4.1998 के पूर्व (अधिकारियों के मामले में) लागू वेतनमान के अनुसार देय थे और जिन दरों पर वेतन के अन्य घटक देय थे;

(ख) विनियम 3 में,

(i) उप-विनियम (1) के खण्ड (ग) में, "_____ बैंक को उपर्युक्त रकम" शब्दों के पश्चात "या 1 अप्रैल,1995 तक, जो भी पहले हो" शब्द जोड़े जाएंगे ;

उप-विनियम (7) के खण्ड (ख) में "_____ बैंक को उपर्युक्त रकम" शब्दों के पश्चात "या 1 अप्रैल,1995 तक, जो भी पहले हो" शब्द जोड़े जाएंगे;

(iii) उप-विनियम (9) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात

"(10) उप-विनियम (2), (5), (6) और (8) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई कर्मचारी 1 नवंबर,1993 को या उसके पश्चात लेकिन 1 अप्रैल,1995 को या उसके पहले सेवानिवृत्त हो गया था/सेवानिवृत्ति के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी या यदि किसी कर्मचारी की बैंक की सेवा में रहते हुए, 1 नवंबर,1993 को या उसके पश्चात लेकिन 1 अप्रैल, 1995 को या उसके पूर्व मृत्यु हो गई थी तो ऐसा कर्मचारी या मृत कर्मचारी का परिवार, जो भी स्थिति हो, उपर्युक्त उप-विनियमों में उल्लिखित अवधि के भीतर भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संपूर्ण राशि तथा उसपर उपचित ब्याज और भविष्य निधि खाते के निपटान की तारीख से बैंक को उपर्युक्त राशि वापस करने की तारीख तक या 1 अप्रैल, 1995 तक, जो भी पहले हो, उक्त रकम पर छह प्रतिशत की वार्षिक दर से अतिरिक्त साधारण ब्याज के साथ वापस करेगा।";

(ग) विनियम 12 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"12. निधि का निवेश : निधि में अंशदान की गई या प्राप्त या उस तारीख के पश्चात निधि पर ब्याज या अन्य प्रकार से उपचित संपूर्ण राशि, भारत में डाक घर बचत बैंक खाते या किसी अनुसूचित बैंक के चालू खाते या बचत बैंक खाते में जमा की जा सकेगी या पेंशन विनियम के अनुसार पेंशन लाभ का भुगतान करने हेतु उपयोग में लाई जा सकेगी। जो रकम इस प्रकार जमा नहीं की गई है या जिसका उपयोग नहीं किया गया है उसका आयकर नियम, 1962 के नियम 67के उप-नियम (2) में किए गए उल्लेख के अनुसार निवेश किया जाएगा।"

(घ) विनियम 18 में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात :-

"परंतु, इस विनियम के उपबंध किसी कर्मचारी को पेंशन हेतु पात्र बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम सेवा निर्धारित करने हेतु लागू नहीं होंगे।"

(ङ.) विनियम 27 में, उप-विनियम (2) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :-

"(2) जो अंशकालिक कर्मचारी प्रारंभ में न्यूनतम वेतनमान पर नियुक्त किया गया था/है और बाद में उसका नियतन पूर्ण वेतनमानों सहित उच्चतम वेतनमान में किया गया था/जाता है, उसके मामले में पेंशन की राशि की गणना करने के प्रयोजन से अर्हताप्राप्त सेवा की अवधि का निर्धारण परिशिष्ट IV के अनुसार किया जाएगा।

(3) जो अंशकालिक कर्मचारी भर्ती होने के समय से लेकर एक ही वेतनमान में बना रहता है उसकी पेंशन राशि की गणना करने के प्रयोजन हेतु उसके द्वारा की गई वास्तविक सेवा को अर्हता प्राप्त सेवा माना जाएगा। ऐसे मामलों में सेवानिवृत्ति के समय वेतनमान पर आहरित वास्तविक वेतन को औसत परिलब्धियों के प्रयोजन हेतु गिनती में लिया जाएगा।

टिप्पणी

वास्तविक सेवा/अर्हताप्राप्त सेवा की गणना भर्ती की तारीख से या 1.9.1978 से, जो भी बाद में हो, की जाएगी।";

(च) विनियम 32 में खण्ड (क) के अंत में "और" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।;

(छ) विनियम 33 में उप-विनियम (1) के बदले निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात :-

"(1) यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 या पंचाटों/समझौतों के अनुसार, 1 नवंबर,1993 को या उसके पश्चात दंड के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारी को, ऐसा दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से उच्च प्राधिकारी द्वारा, दो-तिहाई से कम नहीं और यदि वह उस तारीख को अधिवर्षिता पर ऐसी पेंशन का पात्र होता तो उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को उसे स्वीकार्य पूर्ण पेंशन से अधिक नहीं, की दर से पेंशन मंजूर की जाए।"

(ज) विनियम 34 में उप-विनियम (2) के बदले निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(2) विनियम 3 के उप-विनियम (7) में निहित उपबंधों द्वारा शासित मृत कर्मचारी का परिवार पेंशन या परिवार पेंशन, यथास्थिति, के लिए 1 नवंबर, 1993 से पात्र होगा।";

(झ) विनियम 35 में, उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(1) मूल पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन, जहां भी लागू हो, परिशिष्ट-1 में दिए गए फार्मूले के अनुसार अद्यतन बनाई जाएगी।";

(ञ) विनियम 36 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(36) न्यूनतम पेंशन - न्यूनतम पेंशन की राशि निम्नानुसार होगी :-

(क) जहां कर्मचारी (कर्मकारों के मामले में) 1 नवंबर,1992 के पूर्व या (अधिकारियों के मामले में) 1 जुलाई,1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गया था, वहां कर्मचारी के मामले में, अंशकालिक कर्मचारी को छोड़कर, रुपये तीन सौ पचहत्तर प्रतिमाह और 1 नवंबर, 1992 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए अंशकालिक कर्मचारी के मामले में वेतनमान की दर के संबंध में उसकी आनुपातिक राशि;

(ख) जहां कर्मचारी (कर्मकारों के मामले में) 1 नवंबर,1992 को या उसके पश्चात या (अधिकारियों के मामले में) 1 जुलाई,1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हो गया था, वहां कर्मचारी के मामले में, अंशकालिक कर्मचारी को छोड़कर, रुपये सात सौ बीस प्रतिमाह और 1 नवंबर,1992 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए अंशकालिक कर्मचारी के मामले में वेतनमान की दर के संबंध में उसकी आनुपातिक राशि;

(ग) जहां कर्मचारी 1 अप्रैल,1998 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हो गया था, वहां कर्मचारी के मामले में, अंशकालिक कर्मचारी को छोड़कर, रुपये एक हजार पन्द्रह प्रति माह और जहां अंशकालिक कर्मचारी 1 अप्रैल,1998 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुआ है वहां एक-तिहाई वेतन पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी के मामले में रुपये तीन सौ उनतालीस प्रतिमाह, आधा वेतन पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी के मामले में रुपये पांच सौ आठ प्रतिमाह तथा तीन चौथाई वेतन पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी के मामले में रुपये सात सौ बासठ प्रतिमाह।"

(ट) विनियम 39 में :-

(i) उप-विनियम (1) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात :-

"परंतु, जो कर्मचारी 1 जनवरी,1986 को या उसके पश्चात बैंक की सेवा में थे तथा 31 अक्तूबर,1987 को या उसके पूर्व सेवा में रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी या 31 अक्तूबर,1987 को या उसकें पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे परंतु उनकी मृत्यु बाद में हुई थी, ऐसे मृतक कर्मचारी का परिवार पेंशन का पात्र होगा, जिसकी रकम परिशिष्ट V के अनुसार निर्धारित की जाएगी।"

(ii) उप-विनियम (3) के खण्ड (क) में उप-खण्ड (ii) में शब्द, कोष्ठक, अक्षर "या खण्ड (ख) " निकाले जाएंगे;

(iii) उप-विनियम (3) में खण्ड (क) में उप-खण्ड (ii) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा, अर्थात :-

"परंतु, इस खण्ड के अंतर्गत निर्धारित परिवार पेंशन की राशि किसी भी दशा में बैंक से सेवानिवृत्त होने पर प्राधिकृत पेंशन से अधिक नहीं होगी। यदि कर्मचारी की सेवनिवृत्ति पर उसे प्राधिकृत पेंशन साधारण दर पर परिवार पेंशन की राशि से कम है तो परिवार को साधारण दरों पर परिवार पेंशन की अनुमति दी जाएगी।

स्पष्टीकरण : इस उप-खण्ड के प्रयोजन हेतु, "सेवानिवृत्ति पर प्राधिकृत पेंशन" में पेंशन का वह अंश शामिल है जो सेवानिवृत्त कर्मचारी ने मृत्यु के पूर्व संराशीकृत किया होता।"

(ठ) विनियम 40 में,

(i) उप-विनियम (i) में खण्ड (ख) और (ग) के लिए निम्नलिखित खण्ड तथा परंतुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:

(ख) पुत्र या पुत्री (विधवा/तलाकशुदा सहित) के मामले में जब तक वह पच्चीस वर्ष का/की नहीं हो जाता/जाती या उसके विवाह/पुनर्विवाह तक, जो भी पहले हो:

परंतु, जब पात्र पुत्र/पुत्री सरकारी/निजी क्षेत्र/स्व-नियोजन आदि में नियोजन से

रु.2550/- प्रतिमाह से अधिक रकम प्राप्त करना शुरू कर देता/देती है तो पुत्रों/पुत्रियों (विधवा/तलाकशुदा सहित) को देय पेंशन बंद कर दी जाएगी/ स्वीकार्य नहीं होगी।

परंतु, यदि किसी कर्मचारी का पुत्र या पुत्री किसी मानसिक विकार या अशक्तता से ग्रस्त है या शारीरिक रूप से इस प्रकार अपंग या विकलांग है कि वह पच्चीस वर्ष का/की होने पर भी जीवन-निर्वाह के लिए कमा नहीं सकता/सकती तो ऐसे पुत्र या पुत्री को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आजीवन परिवार पेंशन का भुगतान किया जाएगा :-

(I) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री, कर्मचारी के दो या दो से अधिक बच्चों में से है तो प्रारंभ में परिवार पेंशन उप-विनियम (1) के खण्ड (ङ) में यथा निर्धारित अवयस्क बच्चे को देय होगी और वह तब तक देय होगी जब तक कि अंतिम अवयस्क बच्चा पच्चीस वर्ष का नहीं हो जाता और उसके पश्चात परिवार पेंशन मानसिक विकार या अशक्तता से ग्रस्त या शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग पुत्र या पुत्री के पक्ष में पुनः आरंभ की जाएगी और उसे आजीवन देय होगी;

(II) यदि मानसिक विकार या अशक्तता से ग्रस्त या शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग बच्चे एक से अधिक हैं तो परिवार पेंशन उनके जन्म के क्रम से दी जाएगी और उसमें से सबसे कम उम्र के पुत्र या पुत्री को परिवार पेंशन तभी मिलेगी जब उससे बड़े/बड़ी की पात्रता समाप्त हो जाएगी :

परंतु, जहां परिवार पेंशन ऐसे जुड़वा बच्चों को देय है वहां यह उप-विनियम (1) के खण्ड (च) में निर्दिष्ट तरीके से दी जाएगी ;

(III) ऐसे पुत्र या पुत्री को परिवार पेंशन अभिभावक के जरिए प्रदान की जाएगी मानो वह अवयस्क था/थी, सिवाय शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग पुत्र या पुत्री को छोड़कर जो परिपक्वता आयु पर पहुंच चुके हों।

(IV) ऐसे किसी पुत्र या पुत्री को आजीवन परिवार पेंशन देने की अनुमति देने के पूर्व,सक्षम प्राधिकारी इस बात की संतुष्टि करेगा कि विकलांगता इस प्रकार की है कि वह उसकी आजीविका के लिए आय प्राप्त करने में बाधा बनती है और इसे बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र द्वारा प्रमाणित करना होगा, जिसमें यथासंभव, बच्चे की सही-सही मानसिक एवं शारीरिक स्थिति दी गई हो;

(V) ऐसे पुत्र या पुत्री के अभिभावक के रूप में परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति या अभिभावक के माध्यम से परिवार पेंशन प्राप्त न करने वाले पुत्र या पुत्री को बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी का प्रत्येक तीन वर्ष में इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह मानसिक विकार या अशक्तता से लगातार ग्रस्त है तथा शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग है।

स्पष्टीकरण - इस विनियम में निर्दिष्ट आयु सीमा से अधिक आयु के विकलांग बच्चे को परिवार पेंशन निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाएगी, अर्थात

(I) पुत्री इस उप-विनियम के अधीन परिवार पेंशन के लिए उस तारीख से अपात्र हो जाएगी जिस तारीख को वह विवाह करती है;

(II) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री अपनी आजीविका आरंभ कर देता/देती है तो ऐसे पुत्र या पुत्री को परिवार पेंशन बंद कर दी जाएगी। ऐसे मामलों में अभिभावक या पुत्र या पुत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह हर महीने बैंक को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि -

(अ) उसने अपनी आजीविका प्रारंभ नहीं की है;

(आ) पुत्री के मामले में यह कि अभी तक वह अविवाहित है;

(ग) माता-पिता के मामले में, यदि सरकारी/निजी क्षेत्र/स्वनियोजन आदि में नियोजन से माता-पिता में से किसी एक की आय या माता-पिता दोनों की कुल आय रु.2550/- प्रति माह से अधिक हो जाती है तो देय परिवार पेंशन बंद कर दी जाएगी/स्वीकार्य नहीं होगी।"

(II) उप-विनियम (4) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4) जहां पति और पत्नी दोनों बैंक कर्मचारी हैं तथा इस विनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं, और उनमें से किसी एक की सेवाकाल के दौरान या सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु हो जाती है तो मृत कर्मचारी के मामले में परिवार पेंशन जीवित पति या पत्नी को दी जाएगी और पति या पत्नी की मृत्यु हो जाने पर, मृत अभिभावक के मामले में जीवित बच्चे या बच्चों को दो परिवार पेंशन मंजूर की जाएगी जो निम्नलिखित तक सीमित रहेगी, अर्थात -

(क) जहां जीवित बच्चा, या बच्चे विनियम 39 के उप-विनियम (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (I) तथा खण्ड (ख) के उप-खण्ड (I) में उल्लिखित दरों पर दो परिवार पेंशन पाने का पात्र है/हैं तो दोनों पेंशन की दर निम्नलिखित तक सीमित रहेगी -

(I) 1 नवम्बर, 1992 के पूर्व (कर्मकारों के मामले में) या 1 जुलाई, 1993 के पूर्व (अधिकारियों के मामले में) जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए थे या सेवा में रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी, के मामले में रुपये दो हजार पॉच सौ केवल प्रतिमाह;

(II) 1 नवम्बर, 1992 को या उसके पश्चात (कर्मकारो के मामले में) या 1 जुलाई, 1993 को या उसके पश्चात (अधिकारियों के मामले में) जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए थे या सेवा में रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके मामले में रुपये चार हजार आठ सौ केवल प्रतिमाह; और

(iii) केवल उन कर्मचारियों, अधिकारियों तथा कर्मकारों, दोनों के मामले में, जो 1 अप्रैल, 1998 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हो गए थे या जिनकी मृत्यु हो गई थी, रुपये छह हजार सात सौ छप्पन केवल प्रतिमाह।

(ख) यदि विनियम 39 के उप-विनियम (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) या खण्ड (ख) के उप-खण्ड (i) में उल्लिखित दरों पर देय एक परिवार पेंशन बंद हो जाती है और उसके बदले विनियम 39 के उप-विनियम (1) में उल्लिखित दर पर परिवार पेंशन देय हो जाती है तो दोनों पेंशनों की रकम भी निम्नलिखित तक सीमित रहेगी -

(i) जो कर्मचारी 1 नवम्बर, 1992 के पूर्व (कर्मकारों के मामले में) या 1 जुलाई, 1993 के पूर्व (अधिकारियों के मामले में) सेवानिवृत्त हो गए थे या सेवा में रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी, के मामले में रुपये दो हजार पांच सौ केवल प्रतिमाह;

(ii) जो कर्मचारी 1 नवम्बर, 1992 को या उसके पश्चात (कर्मकारों के मामले में) या 1 जुलाई, 1993 को या उसके पश्चात (अधिकारियों के मामले में) सेवानिवृत्त हो गए थे या जिनकी मृत्यु हो गई थी, के मामले में रुपये चार हजार आठ सौ केवल प्रतिमाह; और

(iii) केवल उन कर्मचारियों, अधिकारियों तथा कर्मकारों दोनों के मामले में जो 1 अप्रैल 1998 को या उसके पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे या जिनकी मृत्यु हो गई थी, रुपये छह हजार सात सौ छप्पन प्रतिमाह।

(ग) यदि दोनों परिवार पेंशन विनियम 39 के उप-विनियम (1) में उल्लिखित दर पर देय हैं तो दोनों परिवार पेंशन की राशि निम्नलिखित तक सीमित रहेगी –

(i) जो कर्मचारी 1 नदम्बर, 1992 के पूर्व (कर्मकारों के मामले में) या 1 जुलाई, 1993 के पूर्व (अधिकारियों के मामले मे) सेवानिवृत्त हो गए थे या सेवा के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके मामले में रुपये एक हजार दो सौ पचास प्रतिमाह;

(ii) जो कर्मचारी 1 नवम्बर, 1992 को या उसके पश्चात (कर्मकारों के मामले में) या 1 जुलाई, 1993 को या उसके पश्चात (अधिकारियो के मामले मे) सेवानिवृत्त हो गए थे या जिनकी मृत्यु हो गई थी, के मामले में रुपये दो हजार चार सौ प्रतिमाह; और

(iii) जो कर्मचारी (अधिकारी तथा कर्मकार दोनों) 1 अप्रैल 1998 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हो गए थे या जिनकी मृत्यु हो गई थी, के मामले में रुपये तीन हजार तीन सौ अठहत्तर प्रतिमाह।

(iii) उप-विनियम (5) मे खण्ड (ग) के परंतुक के लिए निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"परंतु बच्चे या बच्चों या विधवा या विधवाओं को देय परिवार पेंशन के अंश या अंशों का भुगतान बंद हो जाने पर ऐसा/ऐसे अंश समाप्त नहीं होगा/होंगे, बल्कि अन्य विधवा या विधवाओं को और/या अन्यथा पात्र अन्य बच्चा या बच्चे को समान अंशों में देय होगा या यदि केवल एक विधवा या बच्चा है तो ऐसी विधवा या बच्चे का पूरा अंश देय होगा।"

(iv) उप-विनियम (5) में खण्ड (ग) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

(गक) जहां मृत कर्मचारी या पेंशनभोगी के पीछे एक विधवा बची हो किंतु वह तलाकशुदा पत्नी या पत्नियों से पात्र बच्चा या बच्चे छोड़ गया हो तो ऐसा/ऐसे पात्र बच्चा या बच्चे परिवार पेंशन का वह अंश पाने का/के हकदार होगा/होंगे जो कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के समय उसकी/उनकी माता को मिलता यदि उसका तलाक न हुआ होता।

परंतु, ऐसे बच्चे या बच्चों या विधवा या विधवाओं को देय परिवार पेंशन के अंश या अंशों के देय न रह जाने पर ऐसा या ऐसे अंश व्यपगत नहीं होंगे अपितु अन्य विधवा या विधवाओं और/या अन्य बच्चे या बच्चों जो अन्यथा पात्र हों, को समान अंशों में देय होगा/होंगे या यदि एक ही विधवा या बच्चा हो तो ऐसी विधवा या बच्चे को पूर्ण रूप से देय होगा/होंगे।

(ङ) विनियम 41 में,

(क) उप-विनियम 4 में, टिप्पणियों के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"टिप्पणी -

उपर्युक्त तालिका पेंशनभोगी के अगले जन्म दिन पर उसकी आयु के संदर्भ में क्रय वर्षों की संख्या के रूप में व्यक्त पेंशन का संराशीकृत मूल्य दर्शाती है। अट्ठावन वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में संराशीकृत मूल्य 10.46 क्रय वर्ष है और इसलिए, यदि वह सेवानिवृत्ति से एक वर्ष के भीतर अपनी पेंशन से सौ रुपये संराशीकृत करता है तो उसे एकमुश्त देय राशि होगी रु.100 x 10.46 x12 = रु.12,552"

(ख) प्रतिस्थापित नोट के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात

(5) जिस कर्मचारी ने पेंशन के स्वीकार्य अंश को संराशीकृत किया था, वह संराशीकरण की तारीख से पन्द्रह वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात फिर से चालू पेंशन के संराशीकृत अंश को पाने का पात्र होगा।

(6) जो आवेदक अधिवर्षिता पेंशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन, समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन, अनिवार्य सेवा-निवृत्ति पेंशन, अशक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता हेतु अधिकृत है, वह इन विनियमों के अधीन अपनी पेंशन के अंश को संराशीकृत करने हेतु पात्र होगा।

(7) यदि पेंशनभोगी अधिवर्षिता पेंशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन या समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन हेतु पात्र है तो सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर संराशीकरण हेतु आवेदन देने पर चिकित्सा जांच अनिवार्य नहीं होगी। परंतु, यदि ऐसा पेंशनभोगी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के पश्चात पेंशन के संराशीकरण हेतु आवेदन करता है तो इसकी अनुमति चिकित्सा जांच के अधीन दी जाएगी :

परंतु, जिस आवेदक को विनियम 46 के अनुसार अनंतिम पेंशन प्राप्त हो रही है और जिसके लिए विभागीय या न्यायिक कार्यवाही पूर्ण होने पर पेंशन प्राधिकृत की गई है, इस उप-विनियम में उल्लिखित एक वर्ष की अवधि, विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के पूर्ण हो जाने के परिणामस्वरूप आदेश जारी होने की तारीख से गिनी जाएगी।

(8) ऐसा आवेदक -

(i) जो इन विनियमों के विनियम 30 के अंतर्गत अशक्त पेंशन पर सेवानिवृत्त होता है; या

(ii) जिसे इन विनियमों के विनियम 31 के अंतर्गत अनुकंपा भत्ता प्राप्त हो रहा है; या

(iii) जिसे बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है और वह विनियम 33 के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन के लिए पात्र है, वह बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने के बाद उप-विनियम (1) में उल्लिखित सीमा के अधीन अपनी पेंशन के अंश को संराशीकृत करने का पात्र होगा।

(9) पेंशन का संराशीकरण तब निरपेक्ष हो जाएगा जब

(क) अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी, सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद की अगली तारीख पर, सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व पेंशन के संराशीकरण हेतु आवेदन करता है:

परंतु, विनियम 29 के उप-विनियम (3) द्वारा शासित कर्मचारी तीन महीने की नोटिस समाप्त होने के पूर्व अपनी पेंशन के अंश के संराशीकरण हेतु आवेदन नहीं करेगा और पेंशन का संराशीकरण विनियम 29 के उप-विनियम (1) में उल्लिखित नोटिस अवधि के समाप्त होने पर निरपेक्ष हो जाएगा;

(ख) अधिवर्षिता पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर या समयपूर्व सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होता है और वह सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् परंतु सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पूरा होने के पहले पेंशन के संराशीकरण हेतु आवेदन करता है तो संराशीकरण हेतु आवेदन सक्षम प्राधिकारी को जिस तारीख को प्राप्त होता है;

(ग) अधिवर्षिता पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर या समयपूर्व सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होता है और पेंशन के संराशीकरण हेतु सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के पश्चात आवेदन करता है तो बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख से;

(घ) जो कर्मचारी 1 नवम्बर, 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गया था और इन विनियमों द्वारा शासित होने का विकल्प चुनता है, 1 नवम्बर, 1993 को, जहां आवेदन विनियम 3 के उप-विनियम (2) के खण्ड (ख) में उल्लिखित अवधि के भीतर किया गया है;

(ङ) जो कर्मचारी 1 नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात बैंक की सेवा में था परंतु जो अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन को इन विनियमों के प्रकाशन के पूर्व सेवानिवृत्त हो गया था, जहां आवेदन विनियम 3 के उप-विनियम (2) खण्ड (ख) में उल्लिखित अवधि के भीतर किया गया हो;

(च) जो कर्मचारी 1 नवम्बर, 1993 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हो गया था परंतु अधिसूचित तारीख के पूर्व उसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन पर जहां मृतक कर्मचारी के परिवार द्वारा संराशीकरण का आवेदन विनियम 3 के उप-विनियम (5) के खण्ड (क) में उल्लिखित अवधि के भीतर किया गया है;

(छ) जिस कर्मचारी को विनियम 30 के अधीन अशक्त पेंशन या विनियम 31 के अधीन अनुकंपा भत्ता या विनियम 33 के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन स्वीकार्य है, संराशीकरण बैंक द्वारा अनुमोदन चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र की तारीख को निरपेक्ष हो जाएगा।

(ढ) विनियम 48 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"48. बैंक को हुई आर्थिक हानि की वसूली

(1) यदि पेंशनभोगी अपनी सेवा अवधि के दौरान किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में घोर अवचार या उपेक्षा या आपराधिक न्यासभंग या जालसाजी या कपटपूर्ण कार्य का दोषी पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी पेंशन या उसका अंश रोक सकता है, या वापस ले सकता है, चाहे वह स्थायी रूप से हो या निर्धारित अवधि के लिए, और बैंक को हुई किसी भी आर्थिक हानि के पूरे या अंश को पेंशन से वसूल करने का आदेश दे सकता है :

परंतु, कोई अंतिम आदेश जारी करने के पूर्व बोर्ड से परामर्श किया जाएगा :

परंतु कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात, विभागीय कार्यवाही, यदि कर्मचारी के सेवा में रहते हुए आरंभ की गई है, इन विनियमों के अधीन कार्यवाही समझी जाएगी तथा जिस प्राधिकारी द्वारा यह आरंभ की गई थी वह उसी प्रकार से जारी रखी जाएगी तथा समाप्त की जाएगी मानो वह कर्मचारी सेवा में है।

(2) यदि कर्मचारी के सेवा में रहते हुए विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं की गई थी, तो ऐसे संस्थापन के चार वर्ष के पूर्व हुई किसी भी घटना के मामले में कोई विभागीय कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी :

परंतु, इस प्रकार आरंभ की गई अनुशासनिक कार्यवाही, कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान अनुशासनिक कार्यवाही के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार होगी।

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी पेंशन से आर्थिक हानि की वसूली का आदेश देता है वहां वसूली सामान्यतया कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख को स्वीकार्य पेंशन के एक तिहाई से अधिक की दर पर नहीं की जाएगी।

परंतु, जहां पेंशन का अंश रोका गया है या वापस लिया गया है, वहां पेंशनभोगी द्वारा आहरित पेंशन राशि इन विनियमों के अधीन देय न्यूनतम पेंशन से कम नहीं होगी।"

(ण) परिशिष्ट-I के लिए, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

परिशिष्ट -I
(विनियम 35 देखें)

1. 01.01.1986 से 31.10.1987 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में, मूल पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन को अद्यतन बनाने का फॉर्मूला निम्नलिखित अनुसार होगा :-

(1) अ. (क) पेंशन के लिए गणनायोग्य औसत परिलब्धियों के पहले रु. 1000/- का 50 प्रतिशत — रु._____

(ख) अगले रु.500/- का 45 प्रतिशत — रु._____

(ग) रु.1500/- से अधिक पेंशन के लिए गणनायोग्य औसत परिलब्धियों का 40 प्रतिशत (क + ख +ग) का योग — रु._____

रु._____ (अ)

आ. सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवा के अंतिम 10 महीने की औसत मासिक परिलब्धियों का 50 प्रतिशत — रु._____ (आ)

इ. नीचे दी गई तालिका के अनुसार, उपर्युक्त (अ) पर परिकलित मूल पेंशन पर, श्रृंखला 1960 = 100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक 600 पर महंगाई राहत — रु._____ (इ)

ई. कुल मूल पेंशन रु._____ (ई)
= (आ) + (इ) x अर्हता सेवा के वर्षों की संख्या (अधिकतम 33 वर्ष) / 33

उ. 01.11.1993 को मूल पेंशन रु._____ (उ)
(अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित)

(2) सेवानिवृत्ति के समय आहरित विशेष भत्ते के अनुरूप, दिनांक 10 अप्रैल, 1989 के द्विपक्षीय समझौता या अधिकारी सेवा विनियम, यथास्थिति, के अनुसार भविष्य निधि में अंशदान करने हेतु गिनी जाने वाली रकम की सीमा तक विशेष भत्ते अतिरिक्त पेंशन के प्रयोजन हेतु गिने जाएंगे।

तालिका

01.01.1986 से 31.10.1987 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक 600 पर तैयार की गई महंगाई राहत की दरें :

(क) अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारी	उपर्युक्त अ पर परिकलित पेंशन का 80.40 प्रतिशत
(ख) रु.756/- प्रतिमाह पेंशन आहरित करने वाले लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी	उपर्युक्त अ पर परिकलित पेंशन का 67 प्रतिशत

(ग) रु.757/- और उससे अधिक प्रतिमाह पेंशन आहरित करने वाले लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी निम्नप्रकार से महंगाई राहत के लिए पात्र होंगे :-

प्रतिमाह आहरित मूल पेंशन की राशि रु.	स्वीकार्य महंगाई राहत राशि रु.
757 - 796	508.00
797 - 804	534.00
805 - 824	540.00
825 - 844	553.00
845 - 864	567.00
865 - 884	580.00
885 - 904	593.00
905 - 924	607.00
925 - 944	620.00

945 - 964	634.00
965 - 984	647.00
985 - 1004	660.00
1005 - 1024	674.00
1025 - 1044	687.00
1045 - 1064	701.00
1065 - 1084	714.00
1085 और अधिक	727.00

(घ) अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी महंगाई राहत के लिए निम्नानुसार पात्र होंगे :

(i) रु.765/- प्रतिमाह मूल पेंशन आहरित करने वाले	उपर्युक्त अ पर परिकलित पेंशन राशि का 66 प्रतिशत अधिकतम रु. 500/-
(ii) रु.766/- से रु.1165/- प्रतिमाह मूल पेंशन आहरित करने वाले	रु. 500/-
(iii) रु.1166/- और उससे अधिक प्रतिमाह पेंशन आहरित करने वाले	उपर्युक्त अ पर परिकलित पेंशन राशि का 42.90 प्रतिशत, जो अधिकतम रु.715/- होगा।

2. 1 नवम्बर, 1992 को या उसके पश्चात, परंतु 1 सितम्बर, 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा 1 जुलाई, 1993 को या उसके पश्चात परंतु 1 मई, 1994 के पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी के मामले मे मूल पेंशन को अद्यतन बनाने का फॉर्मूला निम्नलिखित अनुसार होगा:-

(1) अर्हता सेवा के अंतिम 10 महीनो के दौरान महीने/महीनों के लिए पुराने वेतनमान के अनुसार आहरित वेतन का योग	रु._____
(2) उपर्युक्त (1) पर परिकलित वेतन के प्रत्येक महीने के लिए, वास्तविक रूप से आहरित महंगाई भत्ते या 1148 अंको पर महंगाई भत्ते, जो भी कम हो, का योग	रु._____
(3) उपर्युक्त (1) के अनुसार आहरित वेतन का योग तथा (+) उपर्युक्त (2) के अनुसार आहरित महंगाई भत्ते का योग	रु._____
(4) जिस महीने में कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ उस महीने को शामिल करते हुए, अर्हता सेवा के अंतिम 10 महीने/महीनों के लिए संशोधित वेतनमान के अनुसार आहरित वेतन का योग	रु._____
(5) कॉलम (3) व (4) का योग	रु._____
(6) पेंशन के प्रयोजन हेतु औसत परिलब्धियां अर्थात उपर्युक्त (5) के अनुसार योग / 10	रु._____
(7) अद्यतन मूल पेंशन उपर्युक्त (6) का 50 प्रतिशत x अर्हता सेवा के वर्षों की संख्या (अधिकतम 33 वर्ष)	रु._____

(8) मूल पेंशन (अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित) रु._____

3. सेवानिवृत्ति के समय वास्तविक रूप से आहरित विशेष भत्तों के अनुरूप, अतिरिक्त पेंशन के संराशीकरण के प्रयोजन से 1 नवम्बर, 1992 को या उसके पश्चात, परंतु 1 नवम्बर, 1994 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मकारों तथा 1 जुलाई, 1993 को या उसके पश्चात, परंतु 1 नवम्बर, 1994 के पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले में दिनांक 14 फरवरी, 1995 के द्विपक्षीय समझौते या अधिकारी सेवा विनियम, यथास्थिति, के अनुसार विशेष भत्तों की राशि की गणना 1 नवम्बर, 1994 से की जाएगी।

परंतु, 1 नवम्बर, 1992 या सेवानिवृत्ति की तारीख से, जो भी बाद में हो, 31 अक्तूबर, 1994 तक की अवधि के लिए, संशोधन-पूर्व दरों पर भविष्य निधि की गणना हेतु राशि अतिरिक्त पेंशन के संराशीकरण के प्रयोजन हेतु गिनी जाएगी।

4. सेवानिवृत्ति के समय वास्तविक रूप से आहरित संशोधन-पूर्व विशेष भत्ते के अनुरूप 1 नवम्बर, 1994 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवा के अंतिम 10 महीनों के दौरान संशोधन-पूर्व तथा संशोधित, दोनों दरों पर विशेष भत्ता आहरित कर चुके कर्मचारियों के मामले में, 14 फरवरी, 1995 के द्विपक्षीय समझौते या अधिकारी सेवा विनियम, यथास्थिति, के अनुसार विशेष भत्ते की राशि अतिरिक्त पेंशन के संराशीकरण के प्रयोजन हेतु गिनी जाएगी।

टिप्पणी

1 नवम्बर, 1994 को या उसके पूर्व आहरित संशोधित विशेष भत्ते की राशि मूल पेंशन के संराशीकरण हेतु गिनी जाएगी।

5. जो अधीनस्थ कर्मचारी 1 नवम्बर, 1992 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए थे तथा संशोधन-पूर्व विशेष भत्ता आहरित किया था और वे कर्मचारी भी जो 1 नवम्बर, 1994 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवा के अंतिम दस महीनों के दौरान संशोधन-पूर्व तथा संशोधित दोनों विशेष भत्ते आहरित कर चुके हैं, के मामले में संशोधन-पूर्व दरों पर वास्तविक रूप से आहरित विशेष भत्ते की राशि मूल पेंशन के संराशीकरण के प्रयोजन हेतु गिनी जाएगी और श्रृंखला 1960 = 100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के तिमाही औसत में 600 के ऊपर प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि या गिरावट के लिए महंगाई राहत आहरित करेंगे।

(त) परिशिष्ट-II के लिए निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

परिशिष्ट -II

(विनियम 37 देखें)

मूल पेंशन पर महंगाई राहत निम्नलिखित अनुसार होगा :-

(1) कर्मकार संवर्ग के जो कर्मचारी 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात, परंतु 1 नवम्बर, 1992 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे तथा अधिकारी संवर्ग के जो कर्मचारी 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात परंतु 1 जुलाई, 1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, के मामले में, महंगाई भत्ता श्रृंखला 1960 = 100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 600 अंकों के ऊपर, यथास्थिति, प्रत्येक 4 अंकों की वृद्धि पर देय होगा तथा प्रत्येक गिरावट पर वसूली योग्य होगा। उपर्युक्त प्रत्येक चार अंकों की प्रत्येक महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या गिरावट नीचे दिए गए अनुसार परिकलित की जाएगी :-

प्रतिमाह मूल पेंशन का मान (1)	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर (2)
(I) रु.1250/- तक	0.67 प्रतिशत
(II) रु.1251/- से रु.2000/-	रु.1250/- का 0.67 प्रतिशत तथा (+) रु.1250/- से अधिक मूल पेंशन का 0.55 प्रतिशत।
(III) रु.2001/- से रु.2130/-	रु.1250/- का 0.67 प्रतिशत तथा (+) रु.2000/- और रु.1250/- के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत तथा(+) रु.2000/- से अधिक मूल पेंशन का 0.33 प्रतिशत।
(IV) रु.2130/- से अधिक	रु.1250/- का 0.67 प्रतिशत तथा (+) रु.2000/- और रु.1250/- के बीच के अंतर का 0.55 प्रतिशत तथा (+) रु. 2130/-और रु.2000/- के बीच के अंतर का 0.33 प्रतिशत तथा (+) रु. 2130/- से अधिक मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत।

(2) उन कर्मचारियों के मामले में जो कर्मकार संवर्ग में हैं और जो 1 नवंबर, 1992 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं तथा उन कर्मचारियों के मामले में जो अधिकारी संवर्ग में हैं और जो 1 जुलाई, 1993 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं, उनको श्रृंखला 1982=100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1148 बिंदु के ऊपर प्रत्येक 4 अंक की वृद्धि के लिए महंगाई राहत प्रदान की जाएगी और प्रत्येक गिरावट के लिए उनसे वसूली की जाएगी, जैसी भी स्थिति हो। उक्त प्रत्येक चार अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या ह्रास को नीचे दी गई पद्धति से परिकलित किया जाएगा।

प्रतिमाह मूल पेंशन का मान (1)	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप में महंगाई राहत की दर (2)
(i) रु. 2400/- तक	0.35 प्रतिशत।
(ii) रु. 2401/- से रु. 3850/-	रु. 2400/- का 0.35 प्रतिशत तथा(+) रु. 2400/-से अधिक मूल पेंशन का 0.29 प्रतिशत।
(III) रु. 3851/-से रु. 4100/-	रु. 2400/- का 0.35 प्रतिशत तथा (+) रु. 3850/- और रु. 2400/-के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत तथा (+) रु. 3850/- से अधिक मूल पेंशन का 0.17 प्रतिशत।
(iv) रु. 4100/- से अधिक	रु. 2400/-का 0.35 प्रतिशत तथा (+) रु. 3850/- और रु. 2400/-के बीच के अंतर का 0.29 प्रतिशत तथा (+) रु. 4100/- और रु. 3850/- के बीच के अंतर का 0.17 प्रतिशत तथा (+) रु. 4100/- से अधिक मूल पेंशन का 0.09 प्रतिशत।

(3) जो कर्मचारी 1 अप्रैल, 1998 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें महंगाई राहत श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1616 से अधिक प्रत्येक 4 अंकों, यथास्थिति, प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी तथा प्रत्येक गिरावट के लिए वसूलीयोग्य होगी। उपर्युक्त प्रत्येक चार अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या गिरावट नीचे दिए गए प्रकार से परिकलित की जाएगी :-

प्रतिमाह मूल पेंशन का मान (1)	मूल पेंशन के प्रतिशत के रूप मे महंगाई राहत की दर (2)
(i) रु. 3380/- तक	0.25 प्रतिशत
(ii) रु.3381/- से रु.5420/-	रु.3380/- का 0.25 प्रतिशत तथा (+) रु.3380/- से अधिक मूल पेंशन का 0.21 प्रतिशत

(iii) रु. 5421/- से रु.5770/-	रु.3380/- का 0.25 प्रतिशत तथा (+) रु.5420/- और रु.3380/- के बीच के अंतर का 0.21 प्रतिशत तथा (+) रु. 5420/- से अधिक मूल पेंशन का 0.12 प्रतिशत।
(iv) रु. 5770/- से अधिक	रु.3380/- का 0.25 प्रतिशत तथा (+) रु. 5420/- और रु.3380/- के बीच के अंतर का 0.21 प्रतिशत तथा (+) रु.5770/- और रु.5420/- के बीच के अंतर का 0.12 प्रतिशत तथा (+) रु.5770/- से अधिक मूल पेंशन का 0.06 प्रतिशत।

(4) महंगाई राहत पिछले वर्ष के अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में प्रकाशित सूचकांकों के तिमाही औसत पर 1 फरवरी से आरंभ और 31 जुलाई को समाप्त होने वाली छमाही के लिए और उसी वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीनों में प्रकाशित सूचकांकों के तिमाही औसत पर 1 अगस्त से आरंभ और 31 जनवरी को समाप्त होने वाली छमाही के लिए देय होगा।

(5) परिवार पेंशन, अशक्त पेंशन और अनुकम्पा भत्ते के मामले में, महंगाई राहत ऊपर उल्लिखित दरों के अनुसार देय होगी।

(6) पूर्ण मूल पेंशन पर महंगाई राहत की अनुमति संराशीकरण के बाद भी दी जाएगी।

(7) महंगाई राहत अतिरिक्त पेंशन पर देय नहीं है।

(8) जिस पेंशनभोगी की मूल पेंशन न्यूनतम पेंशन से कम है परंतु मूल पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन का योग न्यूनतम पेंशन से अधिक है वह न्यूनतम पेंशन पर लागू महंगाई राहत आहरित कर सकेगा।

(थ) परिशिष्ट -III के लिए, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

परिशिष्ट - III
(विनियम 39 देखें)

परिवार पेंशन की साधारण दरें इस प्रकार होंगी :-

(क) अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, अन्य कर्मचारियों के मामले में, जहां कर्मचारी कर्मकार संवर्ग में था और 1.11.1992 के पूर्व सेवानिवृत्त हुआ था या जहां कर्मचारी अधिकारी संवर्ग में था और 01.07.1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हुआ था।

वेतनमान प्रतिमाह (1)	मासिक परिवार पेंशन की राशि (2)

रु.1500/- तक	'वेतन' का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु.375/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा।
रु.1501/- से रु.3000/-	'वेतन' का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है, परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु.450/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा।
रु.3000/- से अधिक	'वेतन' का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है, परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु.600/- प्रतिमाह से कम तथा रु.1250/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

(ख) कर्मचारियों के मामले में, अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, जहां कर्मचारी कर्मकार संवर्ग में था और 1.11.1992 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त हुआ था या जहां कर्मचारी अधिकारी संवर्ग में था और 1.7.1993 के पूर्व सेवानिवृत्त हुआ था।

वेतनमान प्रतिमाह (1)	मासिक परिवार पेंशन की राशि (2)

रु.2870/- तक	'वेतन' का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु.720/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा।
रु.2871/- से रु. 5740/-	'वेतन' का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है, परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 860/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा।
रु.5740/- से अधिक	'वेतन' का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु.1150/- प्रतिमाह से कम तथा रु. 2400/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

(ग) 1.4.1998 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को छोड़कर, कर्मचारियों (अधिकारी तथा कर्मकार दोनों) के मामले में :-

वेतनमान प्रतिमाह (1)	मासिक परिवार पेंशन की रशि (2)

रु.4040/- तक	'वेतन' का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु.1010/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा।
रु.4040/- से रु.8080/-	'वेतन' का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 20 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है, परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु.1212/- प्रतिमाह से कम नहीं होगा।
रु.8080/- से अधिक	'वेतन' का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी। मूल तथा अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु.1616/- प्रतिमाह से कम तथा रु.3378/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

टिप्पणी :

(1) महंगाई भत्ता अतिरिक्त परिवार पेंशन पर देय नहीं होगा।

(2) उपर्युक्त अनुसार परिवार पेंशन की गणना के प्रयोजन से वेतनमान, विनियम 2 के उप खंड (न) में निर्धारित वेतन तथा विनियम 35 के उप-विनियम (3) की व्याख्या में निर्धारित भत्तों का योग होगा ।

(3) अंशकालिक कर्मचारी के मामले में, परिवार पेंशन की न्यूनतम तथा अधिकतम राशि, कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन की दर के अनुपात में होगी।

(4) यदि मूल परिवार पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन का कुल योग न्यूनतम पेंशन से कम होता है तो पेंशनभोगी को न्यूनतम परिवार पेंशन दी जाए और ऐसी न्यूनतम परिवार पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान किया जाए। लेकिन, न्यूनतम परिवार पेंशन के अतिरिक्त परिवार पेंशन नहीं दी जाएगी।

(द) परिशिष्ट - IV के लिए, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात

परिशिष्ट - IV

(विनियम 27 देखें)

एक सप्ताह में स्थायी अंशकालिक आधार पर वेतन पर दी गई वास्तविक सेवा	पेंशन राशि की गणना हेतु स्थायी अंशकालिक आधार पर सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए दी गई तदनुरूपी अर्हता सेवा की अवधि
छह घंटे या अधिक परंतु 13 घंटे तक :	वर्ष का एक तिहाई
13 घंटे से अधिक 19 घंटे तक :	वर्ष का आधा
19 घंटे से अधिक परंतु 29 घंटे तक :	वर्ष का तीन चौथाई
29 घंटे से अधिक	एक वर्ष

(घ) परिशिष्ट -IV के पश्चात निम्नलिखित परिशिष्ट जोड़ा जाएगा, अर्थात

परिशिष्ट -V
(विनियम 39 देखें)

जो कर्मचारी 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात बैंक की सेवा में थे और सेवा में रहते हुए 31 अक्तूबर, 1987 को या उसके पूर्व उनकी मृत्यु हो गई थी या 31 अक्तूबर 1987 को या उसके पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे परंतु उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके मामले में मूल परिवार पेंशन या अतिरिक्त परिवार पेंशन के परिकलन के लिए फॉर्मूला निम्नलिखित अनुसार होगा :-

(1) मूल परिवार पेंशन

(अ) मृत्यु / सेवानिवृत्ति के समय मृतक कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन रु.

(आ) नीचे दी गई तालिका के अनुसार साधारण दर पर मूल परिवार पेंशन रु.

(इ) उपर्युक्त (आ) पर परिकलित मूल परिवार पेंशन संबंधी परिशिष्ट -I में दी गई तालिका I के अनुसार श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक 600 पर महंगाई राहत रु.

(ई) अद्यतन मूल परिवार पेंशन अर्थात (आ) + (इ) रु.

(उ) उपर्युक्त (ई) के अनुसार अद्यतन मूल परिवार पेंशन (अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित) रु.

(ऊ) उपर्युक्त (ई) के (अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित है), यथास्थिति, मूल परिवार पेंशन का डेढ़ गुना या अद्यतन मूल परिवार पेंशन का दोगुना रु.

(2) अतिरिक्त परिवार पेंशन

सेवानिवृत्त/मृत्यु के पूर्व आहरित विशेष भत्ते के अनुरूप दिनांक 10.4.1989 के द्विपक्षीय समझौते/अधिकारी सेवा विनियमों के अनुसार भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए राशि की गणना की सीमा तक विशेष भत्ते को अतिरिक्त परिवार पेंशन के प्रयोजन हेतु गिना जाएगा।

नोट :

(1) महंगाई राहत अतिरिक्त परिवार पेंशन पर देय नहीं है।

(2) यदि अद्यतन मूल परिवार पेंशन और अद्यतन अतिरिक्त परिवार पेंशन का कुलयोग रु. 375/- से कम होता है तो पेंशनभोगी को रु.375/- तथा उस पर महंगाई भत्ता दिया जा सकता है लेकिन ऐसी स्थिति में अद्यतन अतिरिक्त परिवार पेंशन देय नहीं होगी ।

तालिका

वेतन सीमा (1)	परिवार पेंशन की राशि (2)
रु.664/- से कम	'वेतन' का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 30 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है, परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी जो न्यूनतम रु.100/- प्रतिमाह तथा अधिकतम रु.166/- प्रतिमाह होगी।
रु. 664/- और अधिक परंतु रु.1992/- से कम	'वेतन' का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 15 प्रतिशत, जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है, परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी जो न्यूनतम रु.166/- प्रतिमाह तथा अधिकतम रु.266/- प्रतिमाह होगी।

रु.1992/- और उससे अधिक	'वेतन' का 12 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन तथा (+) भत्तों का 12 प्रतिशत जिनकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है, परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी, जो न्यूनतम रु.266/- प्रतिमाह तथा अधिकतम रु.415/- प्रतिमाह होगी ।

(के. मुखर्जी)
महाप्रबंधक (कार्मिक)

पाद टिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) में 29.9.1995 को अधिसूचित किए गए थे तथा उपर्युक्त यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 के बाद के संशोधनों को निम्नलिखित विवरण के अनुसार राजपत्र में प्रकाशित करवाया गया था :

क्रमांक	अधिसूचना संख्या	दिनांक
1.	पीइएन 1/99	30.12.1999
2.	पीइएन 1/2002	30.12.2002

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 13 नवम्बर 2003

सं. यू-16/53/2002-चिकित्सा-2 (गुजरात)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियाँ प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा वे शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डॉ. एन. सी. गुरजार, अंशकालिक चिकित्सा निर्देशों को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर 5.11.03 से 4.11.04 तक की अवधि के लिए उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर-पश्चिम जोन), अहमदाबाद द्वारा निर्धारित खोखरा केन्द्र, अहमदाबाद के क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य-परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

डॉ. (श्रीमती) सुभाष सिंह
चिकित्सा आयुक्त

दिनांक 14 नवम्बर 2003

सं. यू-16/53/99-चिकित्सा-2 (गुजरात)--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियाँ प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डॉ. पी. आर. झा, अंशकालिक चिकित्सा निर्देशों को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर 1.8.2003 से 31.7.2004 तक की अवधि के लिए उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर-पश्चिम जोन), अहमदाबाद द्वारा निर्धारित भाव नगर केन्द्र, गुजरात के क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

डॉ. (श्रीमती) सुभाष सिंह
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 2 दिसम्बर 2003

सं. यू-16/53/99-चिकित्सा-2 (राजस्थान)--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियाँ प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डॉ. पी. आर. झा, अंशकालिक चिकित्सा निर्देशों को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर 17.11.2003 से 16.11.2004 तक की अवधि के लिए उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर-पश्चिम जोन), अहमदाबाद द्वारा निर्धारित बीकानेर केन्द्र, राजस्थान के क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

डॉ. (श्रीमती) सुभाष सिंह
चिकित्सा आयुक्त

दिनांक 2 दिसम्बर 2003

सं. एन-15/13/13/4/2002-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 दिसम्बर, 2003 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95 क तथा उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:--

"जिला -टिहरी गढ़वाल, परगना एवं तहसील-नरेन्द्र नगर के अन्तर्गत आन वाले राजस्व ग्राम-ढालवाला ए तपोवत"।

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एंव वि.)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मुख्यालय, भविष्य निधि भवन

नई दिल्ली-110066, दिनांक 28 नवम्बर 2003

सं. सम्मे.5(11)2002/पंजाब/16829

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 5 के साथ पठित पैराग्राफ 4 के उप पैरा (1) के प्रावधानों के अनुसार जिसका यहां 'योजना' के रूप में उल्लेख किया गया है तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सम्मेलन 5(11)95/पीबी/81163 दिनांक 13.01.1998 जो कि भारत के राजपत्र के भाग - III खंड 4 में 14.02.1998 को प्रकाशित की गई थी, का अतिक्रमण करते हुये अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, एतद्द्वारा पंजाब राज्य के लिये एक क्षेत्रीय समिति का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:-

क्रम सं0	सदस्य का नाम एवं पदनाम	के रूप में नियुक्ति
1.	सचिव, पंजाब सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग, चंडीगढ	**अध्यक्ष** **(पैरा 4 (1) (क) के अंतर्गत)**
2.	श्रम आयुक्त एवं फैक्ट्रीज निदेशक	**सरकारी सदस्य** **(पैरा 4 (1) (ख) के अंतर्गत)**
3.	निदेशक, खाद्य एवं वितरण, पंजाब.	
4.	श्री जे.पी. सिंह, धनवंतरी आयुर्वेदिक फार्मेसी, 277, पूर्वी मोहन नगर, अमृतसर	**सदस्य** **नियोक्ता के प्रतिनिधि** **(पैरा 4(1) (ग) के अंतर्गत)**
5.	श्री आर.एस. सचदेवा, पूर्व अध्यक्ष, मोहाली उद्योग, एसोसिएशन मोहाली, हाउस नं. 248, सैक्टर 35-ए, चण्डीगढ़	
6.	श्री करतार सिंह राठौर, अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, पंजाब, क्वार्टर नं.157, गोपाल नगर, पीली कोठी, जालंधर	**सदस्य** **कर्मचारियों के प्रतिनिधि** **(पैरा 4(1) (घ) के अंतर्गत)**
7.	श्री बलवंत सिंह, अध्यक्ष, सीटू, बाबा करण सिंह चीमा भवन, सैक्टर, 30-बी, चंडीगढ़	

8. 9.	श्री मदन लाल व्यास, भूतपूर्व अध्यक्ष, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, 97-बी, औद्योगिक क्षेत्र-ए लुधियाना-141003 श्री निवास कत्याल, 191, शक्ति नगर, जालंधर	**अतिरिक्त सदस्य** **(नियोक्ता के प्रतिनिधि)** **(योजना के पैरा 4(1) के परंतुक के अंतर्गत)**
10. 11.	श्री राम लुभाया बावा, बी.एम.एस., पुतलीघर, गली नं. 2, अमृतसर-143001 श्री करतार सिंह राठौर, बी.एम.एस. सिविल लाइन्स, जी.टी.रोड, जालंधर - 144001	**अतिरिक्त सदस्य** **(कर्मचारियों के प्रतिनिधि)** **(योजना के पैरा 4(1) के परंतुक के अंतर्गत)**
12. 13.	श्री ए. डी. नागपाल, सचिव, हिन्द मजदूर सभा, सं.1181, सैक्टर 43-बी, चंडीगढ़ श्री वी. पी. चोपड़ा, अध्यक्ष, भारतीय लघु उद्योग एसोसिएशन संघ (एफ.ए.एस.आई.आई.), द्वारा इंडो फास्टनर्स, ई-30, फोकल प्वाइंट, लुधियाना	**केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्य के नाते गैर-सरकारी सदस्य** **(पैरा 4(1) (ड.) के अंतर्गत)**

क्षेत्रीय आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय समिति के सचिव होगे ।

क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल सरकारी राजपत्र में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से 3 वर्ष का होगा, परन्तु प्रत्येक सदस्य तब तक कार्य करता रहेगा जब तक सरकारी राजपत्र में उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति अधिसूचत नहीं की जाती है

यह तत्काल प्रभावी होगा ।

(अजय सिंह)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. सम्मे.5(11)97/महा./16818.

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के साथ पठित पैरा 6 के अनुसरण में, अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) एतद्द्वारा श्री पी.एस.शर्मा, महाप्रबंधक, नेशनल रेयॉन कार्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई को पैरा 4(1) के अंतर्गत क्रम संख्या 4 पर, श्री एस.के.बुद्धिराजा के स्थान पर क्षेत्रीय समिति (कर्मचारी भविष्य निधि), महाराष्ट्र राज्य का सदस्य नियुक्त करते हैं । साथ ही, पैरा 4(1)(घ) के अंतर्गत क्रम संख्या 7 पर कर्मचारी के प्रतिनिधि के नाम के स्थान पर श्री सूर्यकांत बागल (एच.एम.एस.) पढ़ा जाये । तदनुसार 2 अगस्त, 2003 को प्रकाशित भारत के राजपत्र के भाग-III खण्ड-4 (जारी करने की संख्या 31) में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या सम्मेलन-5(9)/97/महा0/27085 दिनांक 16.7.2003 में उपर्युक्त संशोधन कर दिये गये हैं ।

उक्त अधिसूचना में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि पक्ष के अंतर्गत योजना के पैरा 4(1)(ग) एवं 4(1)(घ) में सदस्य के रूप में क्रम संख्या 4 एवं 7 पर की गयी प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :-

श्री पी.एस.शर्मा, महा प्रबंधक, नेशनल रेयॉन कार्पोरेशन लिमिटेड, एवार्ट हाउस, होमी मोदी स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400 032 ।	
श्री सूर्यकांत बागल, (एच.एम.एस.), 204, शिवकृपा टी.सी.एच.हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, 9, जकेरिया बुंदर रोड, कॉटन ग्रीन, मुम्बई-400 033 ।	

(अजय सिंह)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS
CENTRAL DEBT DIVISION

Mumbai, the 25th November 2003

In pursuance of Rule 18 of the Rules made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act 1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 (as amended under the Notification No. F(8)/76-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No.67 dated 21st February 1990), the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie grounds exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicants is just for the month ended October 2003 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai 400 008.

The list has been divided into two parts, List "A" being securities now advertised for the first time and list "B" being the list of securities previously advertised.

List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1.	2.	3.			6.
			- Nil -		
			Byculla, Mumbai Circle 10% Relief Bond 1995		
BC 2549 (GPM)	Rs.6,000/-	Manipur Upendra Kini Rajaramani Upendra Kini	20/4/1998	Manipur Upendra Kini Rajaramani Upendra Kini	06.25.73 9/6/2003
BC 3145 (GPM)	Rs.3,00,000/-	Nirmala Sudhir Shah Bhanu Kantilal Shah and Sarla Bhanu Shah	19/6/1998	Ameet Bhanu Shah Bhanu Kantilal Shah Sarla Bhanu Shah	06.25.66 24/1/2003
BC 12754 (GBH)	Rs.3,00,000/-	Hiralaxmi Nagindas Sanghvi Kumud Krashnakant Vora Harsha Nagindas Sanghvi	1/4/1998	Hiralaxmi Nagindas Sanghvi Kumud Krashnakant Vora Harsha Nagindas Sanghvi	06.25.79 18/7/03
BC 12885 (GBH)	Rs.10,00,000/-	Pradip Navnitlal Muchhala Shobhana Pradip Muchhala	30/7/98	Pradip Navnitlal Muchhala Shobhana Pradip Muchhala	06.25.78 14/7/03
			New Delhi Circle 9% Relief Bond 1999 (M)		
DHN 000695	Rs.1,00,000/-	Gopa Sen Gupta and Kishore Sen Gupta	Post dated IOWs issued in advance	Gopa Sen Gupta and Kishore Sen Gupta	PDO/DT/LN-1/2003 dated 2nd August 2003

(A .S. Mohinani)
Asstt. Manager
November 2003

UCO BANK
PERSONNEL DEPARTMENT
HEAD OFFICE
12, OLD COURT HOUSE STREET

Kolkata-700 001, the 3rd December 2003

No. PEN:1:2003 - In exercise of the powers conferred by Section 19, read with Sub-Section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of UCO Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend UCO Bank (Employees) Pension Regulations, 1995 namely,

1. (1) These Regulations may be called the UCO Bank (Employees) Pension (Amendment) Regulations, 2003

(2) Save as otherwise expressly provided in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2.In the UCO Bank (Employees) Pension Regulations, 1995,

(a) in Regulation 2,

(i) for sub-regulation (n), the following sub-regulation shall be substituted, namely,

"(n) 'employee' means any person employed in the services of the Bank, whether as a workman on full time work on permanent basis or on part-time work on permanent basis on scale wages or as an officer and who opts and is governed by these regulations, but does not include a person employed either on contract basis or daily wage basis or on consolidated wages;";

(ii) in sub-regulation (o), for clause (c), the following clauses shall be substituted, namely,

"(c) son or unmarried daughter or widowed/divorced daughter, who has not attained the age of twenty five years, including such son or daughter adopted legally.

(d) parents who were wholly dependant on the employee when he/she was alive, provided the deceased employee had left behind neither a widow/widower nor a child."

(iii) for sub-regulation (s), the following sub-regulation shall be substituted namely,

"(s) 'Pay" includes,

"(a) in relation to a workman who had either retired or died on or after the 1st day of January, 1986 but before the 1st day of November, 1992; and in relation to an officer who had either retired or died on or after the 1st day of January, 1986 but before the 1st day of July, 1993,

i) the basic pay including stagnation increments, if any, and

ii) all allowances counted for the purposes of making contribution to the Provident Fund and for the payment of dearness allowance;

(b) in relation to a workman who retired or died while in service on or after the 1st day of November, 1992; and in relation to an officer who retired or died while in service on or after the 1st day of July, 1993,

i) the basic pay including stagnation increments, if any; and

ii) all allowances counted for the purpose of making contribution to the Provident Fund and for the payment of dearness allowance; and

iii) increment component of Fixed Personal Allowance;

iv) dearness allowance calculated upto index number 1148 points in the All India Average Consumer Price Index for industrial workers in the series 1960=100.

(c) in relation to an employee who retired or died while in service on or after the 1st day of April, 1998,

(i) the basic pay including stagnation increments, if any; and

(ii) all other components of pay counted for the purpose of making contributions to the Provident Fund and for the payment of dearness allowance; and

(iii) increment component of Fixed Personal Allowance; and

(iv) dearness allowance thereon on the above calculated upto Index Number 1616 points in the All India Average Consumer price Index for Industrial Workers in the series 1960=100.

Explanation:

For the purpose of this clause, basic pay, other components of pay and Fixed Personal Allowance would mean the basic pay, other components of pay and Fixed Personal Allowance drawn by

the employees in terms of the scales of pay as applicable and the rates at which the other components of pay were payable prior to 01.11.1997 (in the case of workmen) and prior to 01.04.1998 (in the case of officers);

(b) in Regulation 3,

(i) in sub-regulation (1), in clause (c), after the words '.....aforesaid amount to the Bank' the words 'or till the 1st day of April 1995 whichever is earlier' shall be added;

(ii) in sub-regulation (7), in clause (b), after the words '.... aforesaid amount to the bank' the words 'or till the 1st day of April, 1995, whichever is earlier' shall be added;

(iii) after sub-regulation (9), the following sub-regulation shall be inserted, namely,

"(10) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2), (5), (6) and (8), in cases where an employee had retired / died after retirement on or after the 1st day of November, 1993 but on or before the 1st day of April, 1995 or where an employee had died while in service of the Bank on or after the 1st day of November, 1993 but on or before the 1st day of April, 1995 such an employee or the family of the deceased employee, as the case may be, shall refund within the period specified in aforesaid sub-regulations the entire amount of the Bank's contribution to the Provident Fund including interest accrued thereon with a further simple interest at the rate of six per cent per annum on the said amount from the date of settlement of the Provident Fund account till the date of refund of the aforesaid amount to the Bank or till the 1st day of April, 1995, whichever is earlier.";

(c) for Regulation 12, the following regulation shall be substituted, namely,

"12. Investment of the Fund - All moneys contributed to the Fund or received or accruing after that date by way of interest or otherwise to the Fund, may be deposited in a Post Office Savings Bank Account in India or in a Current Account or in a savings account with any scheduled bank or utilised in making payment of pensionary benefits in accordance with Pension Regulations and to the extent such moneys as are not so deposited or utilised shall be invested in the manner specified in sub-rule (2) of rule 67 of Income Tax Rules, 1962.";

(d) in Regulation 18, the following proviso shall be inserted, namely,

"Provided that provisions of this regulation shall not apply for determining the minimum service required to make an employee eligible for pension.";

(e) in Regulation 27, for sub-regulation (2), the following sub-regulations shall be substituted, namely,

"(2) For the purpose of calculating the amount of pension in respect of a part time employee who was/is initially recruited on a lower scale wage and later fitted on higher scale wages including full scale wages, the length of qualifying service shall be determined in accordance with Appendix IV.

(3) in respect of part time employees who continue to be in the same scale wages since their recruitment, for the purpose of calculating the amount of pension, the actual service put in shall be taken as qualifying service. In such cases the actual pay drawn on scale wages at the time of retirement shall be reckoned for the purpose of average emoluments.

Note:

The actual service/qualifying service shall be calculated from the date of recruitment or 1.9.1978, whichever is later." ;

(f) in Regulation 32, the word 'and' shall be inserted at the end of clause (a);

(g) in Regulation 33, for sub-regulation(1), the following sub-regulation shall be substituted, namely,

"(1) An employee compulsorily retired from service as a penalty on or after 1st day of November, 1993 in terms of UCO Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976 or awards/ settlements may be granted by the authority higher than the authority competent to impose such penalty, pension at a rate not less than two-thirds and not more than full pension admissible to him on the date of his compulsory retirement if otherwise he was entitled to such pension on superannuation on that date.".;

(h) in Regulation 34, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely,

"(2) The family of a deceased employee governed by the provisions contained in sub-regulation (7) of regulation 3 shall be eligible for pension or family pension as the case may be, with effect from 1st day of November, 1993." ;

(i) in Regulation 35, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely,

"(1) Basic Pension and additional pension, wherever applicable, shall be updated as per the formulae given in Appendix I." ;

(j) for Regulation 36, the following regulation shall be substituted, namely,

"36. Minimum Pension - The amount of minimum pension shall be,

(a) rupees three hundred and seventy, five per month in respect of an employee other than a part-time employee where the employee had retired before 1st day of November, 1992 (in case of workmen) or before 1st day of July, 1993 (in case of officers) and proportionate amount thereof in relation to the rate of scale of wages in the case of a part-time employee who had retired before the 1st day of November, 1992;

(b) rupees seven hundred and twenty per month in respect of an employee other than a part-time employee, where the employee retired on or after

the1st day of November, 1992 (in case of workmen) or on or after the 1st day of July, 1993 (in case of officers) and proportionate amount thereof in relation to the rate of scale of wages in the case of a part time employee who retired on or after the 1st dey of November, 1992;

(c) rupees one thousand and fifteen per month respect of an employee other than a part-time employee where the employee retired on or after the 1st day of April, 1998 and rupees three hundred and thirty nine per month in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale wages, rupees five hundred and eight per month in respect of a part-time employee drawing 1/2 scale wages and rupees seven hundred and sixty two per month in respect of e part-time employee drawing 3/4 scale wages where the part-time employee retired on or after the 1st day of April, 1998.";

(k) in Regulation 39,

(i) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely,

"Provided that in respect of employees who were in the service of the Bank on or after the 1st day of January, 1986 and had died whiie in service on or before the 31st day of October, 1987 or had retired on or before 31st' day of October 1987 but died later, the family of the deceased shall be entitled to family pension, the amount of which shall be determined in accordance with Appendix V";

(ii) in sub-regulation (3), in clause (a), in sub-clause(ii), the words, bracket, letter 'or clause (b)' shall be deleted;

(iii) in sub-regulation (3), in clause (a), after sub-clause (ii), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in no case the emount of family pension determined under this clause shall exceed the pension authorised on retirement from the Bank. If the pension authorised to the employee on his retirement is less than the amount of family pension at the ordinary retes, then, the femily shall be allowed family pension at the ordinary rates.

Explanation: For the purpose of this sub-clause, "pension authorised on retirement" includes part of the pension, which the retired employee might have commuted before death.";

(l) in Regulation 40,

(i) in sub-regulation (1), for clauses (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely,

"(b) in the case of a son or daughter (including widowed/divorced) till he / she attains the age of twenty five years or upto the date of his/her marriage / remarriage, whichever is earlier;

(c) the family pension peyeble to sons/daughters (including widowed/divorced) shall be discontinued / not admissible when the

eligible son/daughter starts earning a sum in excess of Rs.2,550/- per month from employment in Government/privatesector/self-mployment, etc.:

Provided further that if the son or daughter of an employee is suffering from any disorder or disability of mind or is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of twenty five years, the family pension shall be payable to such son or daughter for life subject to the following conditions, namely,

(i) If such son or daughter is one among two or more children of the employee, the family pension shall be initially payable to the minor children in the order set out in clause (e) of sub-regulation (1) until the last minor child attains the age of twenty-five years and thereafter the family pension shall be resumed in favour of the son or daughter suffering from disorder or disability of mind or who is physically crippled or disabled and shall be payable to him or her for life;

(ii) If there are more than one such children suffering from disorder or disability of mind or who are physically crippled or disabled, the family pension shall be paid in the order of their birth and the younger of them will get the family pension only after the elder next above him or her ceases to be eligible;

Provided that where the family pension is payable to such twin children it shall be paid in the manner set out in clause (f) of sub-regulation (1);

(iii) the family pension shall be paid to such son or daughter, through the guardian as if he or she were a minor except in the case of a physically crippled son or daughter who has attained the age of majority;

(iv) before allowing the family pension for life to any such son or daughter, the Competent Authority shall satisfy that the handicap is of such a nature as to prevent him or her from earning his or her livelihood and the same shall be evidenced by a certificate obtained from a medical officer approved by the Bank, setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child;

(v) The person receiving the family pension as guardian of such son or daughter or such son or daughter not receiving the family pension through a guardian shall produce every three years a certificate from a medical officer approved by the Bank to the effect that he or she continues to suffer from disorder or disability of mind or continues to be physically crippled or disabled.

Explanation: The grant of family pension to disabled children beyond the age limit specified in this regulation is subject to the following conditions, namely,

(i) a daughter shall become ineligible for family pension under this sub-regulation from the date she gets married;

(ii) the family pension payable to such son or daughter shall be stopped if he or she starts earning his or her livelihood. In such cases, it shall be the duty of the guardian or son or daughter to furnish a certificate to the Bank every month that -

(A) he or she has not started earning his or her livelihood;

(B) in case of daughter that she has not yet married;

(C) In the case of parents the family pension payable shall be discontinued / not admissible if the income of one of the parents or the aggregate income of both the parents from employment in government / private sector/self-employment etc. exceeds Rs.2,550/- per month."

(ii) for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely,

"(4) In case both wife and husband are employees of the Bank and are governed by the provisions of this regulation and one of them dies while in service or after retirement, the family pension in respect of the deceased shall be payable to the surviving husband or wife and in the event of death of the husband or wife, the surviving child or children shall be granted the two family pensions in respect of the deceased parents subject to the limits specified below, namely,

(a) if the surviving child or children is or are eligible to draw two family pensions at the rates mentioned in sub-clause (i) of clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 39, the amount of both pensions shall be limited to -

(i) two thousand five hundred rupees only per mensem in respect of employees who retired or died while in service prior to the 1st day of November, 1992 (in the case of workmen) or prior to 1st day of July 1993 (in the case of officers);

(ii) four thousand eight hundred rupees per mensem only in respect of employees who retired or died on or after the 1st day of November 1992 (in the case of workmen) or on or after 1st day of July, 1993 (in the case of officers); and

(iii) six thousand seven hundred and fifty six rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of April, 1998.

(b) if one of the family pensions ceases to be payable at the rates mentioned in sub-clause (i) of clause (a) or sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 39 and in lieu thereof the family pension at the rate mentioned in sub-regulation (1) of regulation 39 becomes payable, the amount of both the pensions shall also be limited to -

(i) two thousand five hundred rupees only per mensem in respect of employees who retired or died while in service prior to the 1st day of November, 1992 (in the case of workmen) or prior to 1st day of July 1993 (in the case of officers);

(ii) four thousand eight hundred rupees per mensem only in respect of employees who retired or died on or after the 1st day of November, 1992 (in the case of workmen) or on or after 1st day of July, 1993 (in the case of officers); and

(iii) six thousand seven hundred and fifty six rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of April, 1998.

(c) if both the family pensions are payable at the rate mentioned in sub-regulation (1) of Regulation 39 amount of the two pensions shall be limited to –

(i) one thousand two hundred and fifty rupees per mensem in the case of employees who retired or died whie in service prior to the 1st day of November, 1992 (in the case of workmen) or 1st day of July 1993 (in the case of officers);

(ii) two thousand four hundred rupees per mensem in respect of employees who retired or died on or after the 1st day of November, 1992 (in the case of workmen) or on or after 1st day of July, 1993 (in the case of officers); and

(iii) three thousand three hundred and seventy eight in respect of employees (both officers and workmen) who retired or died on or after 1st day of April, 1998.";

(iii) in sub-regulation (5), for the proviso to clause (c), the following proviso shall be substituted namely,

"Provided that on the share or shares of family pension payable to such a child or children or to widow or widows ceasing to be payable, such share or shares, shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows and / or to the other child or children otherwise eligible, in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child."

(iv) in sub-regulation (5), after clause (c), the following clause shall be inserted namely,

"(ca) Where the deceased employee or pensioner is survived by a widow but has left behind eligible child or children from a divorced wife or wives, such eligible child or children shall be entitled to the share of family pension which the mother would have received at the time of death of the employee or pensioner had she not been so divorced:

Provided that on the share or shares of family pension payable to such a child or children or to a widow ceasing to be payable, such share or shares, shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows and / or to the other child or children otherwise eligible in equal shares, or if there is only one widow or child, in full, to such widow or child.".

(m) in Regulation 41,

(a) in sub-regulation (4), for the Notes, the following shall be substituted, namely,

"Note:-

The table above indicates the commuted value of pension expressed as number of years' purchase with reference to the age of the pensioner as on his next birthday. The commuted value in the case of an employee retiring at the age of fifty eight years is 10.46 years' purchase and, therefore, if he commutes rupees one hundred from his pension within one year of retirement, the lump sum amount payable to him works out to Rs100 x 10.46 x 12 = Rs12,552.";

(b) after the Note as inserted above, the following sub-regulations shall be inserted namely: -

"(5) An employee who had commuted the admissible portion of pension is entitled to have the commuted portion of the pension restored after the expiry of a period of fifteen years from the date of commutation.

(6) An applicant who is authorised a superannuation pension, voluntary retirement pension, premature retirement pension, compulsory retirement pension, invalid pension or compassionate allowance shall be eligible to commute a fraction of his pension under these regulations.

(7) In the case of a pensioner eligible for superannuation pension or pension on voluntary retirement or premature retirement pension, no medical examination shall be necessary, if the application for commutation is made within one year from the date of retirement. However, if such a pensioner applies for commutation of pension after one year from the date of his retirement, the same will be permitted subject to medical examination:

Provided that in the case of an applicant who is in receipt of a

provisional pension as in Regulation 46 and for whom pension in whole or in part on the finalisation of the departmental or judicial proceedings has been authorised, the period of one year referred to in this sub-regulation shall reckon from the date of issue of the orders consequent upon the finalisation of the departmental or judicial proceedings.

(8) An applicant who -

(i) retires on invalid pension under regulation 30 of these regulations; or

(ii) is in receipt of compassionate allowance under regulation 31 of these regulations; or

(iii) is compulsorily retired by the bank and is eligible for compulsory retirement pension under regulation 33,

shall be eligible to commute a fraction of his pension subject to the limit specified in sub-regulation (1) after he has been declared fit by a medical officer approved by the Bank.

(9) The commutation of pension shall become absolute in the case of an employee :

(a) retiring on superannuation or voluntary retirement who submits an application for commutation of pension before the date of retirement, on the date following the date of retirement;

Provided that the employee governed by sub-regulation (3) of regulation 29 shall not apply for commutation of a part of his pension before the expiry of the notice of three months and the commutation of pension shall become absolute only on the expiry of the period of notice referred to in sub-regulation (1) of regulation 29;

(b) retiring on superannuation or on voluntary retirement or on premature retirement, if he applies for commutation of pension after the date of retirement but before the completion of one year from the date of retirement, on the date the application for commutation is received by the Competent Authority;

(c) retiring on superannuation or on voluntary retirement or on premature retirement, if he applies for commutation of pension after one year from the date of retirement, on the date of medical certificate given by a medical officer approved by the Bank;

(d) who has retired prior to the 1st day of November 1993 and who opts to be governed by these regulations, on the 1st day of November 1993, where the application for commutation is made within the period specified by clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 3;

(e) who was in the service of the Bank on or after the 1st day of November, 1993 but who retired prior to the

publication of these regulations on the day immediately following the date of his retirement, where the application is made within the period specified by clause (b) of sub-regulation (2) of regulation 3;

(f) who retired on or after the 1st day of November, 1993 but died prior to the notified date, on the day immediately following the date of his retirement, where the application for commutation is made by the family of the deceased within the period specified by clause (a) of sub-regulation (5) of regulation 3;

(g) in respect of whom invalid pension under regulation 30 or compassionate allowance under regulation 31 or compulsory retirement pension under regulation 33 is admissible, commutation shall become absolute on the date of the medical certificate given by a medical officer approved by the Bank.";

(n) for Regulation 48, the following regulation shall be substituted:

"48. Recovery of Pecuniary loss caused to the Bank -

(1) The Competent Authority may withhold or withdraw a pension or a part thereof, whether permanently or for a specified period and order recovery from pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Bank if in any departmental or judicial proceedings the pensioner is found guilty of grave misconduct or negligence or criminal breach of trust or forgery or acts done fraudulently during the period of his service:

Provided that the Board shall be consulted before any final orders are passed;

Provided further that departmental proceedings, if instituted while the employee was in service, shall after the retirement of the employee, be deemed to be proceedings under these regulations and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner as if the employee had continued in service.

(2) No departmental proceedings, if not instituted while the employee was in service, shall be instituted in respect of an event which took place more than four years before such institution :

Provided that the disciplinary proceedings so instituted shall be in accordance with the procedure applicable to disciplinary proceedings in relation to the employee during the period of his service.

(3) Where the Competent Authority orders recovery of pecuniary loss from the pension, the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding one third of the pension admissible on the date of retirement of the employee;

Provided that where a part of pension is withheld or withdrawn, the amount

of pension drawn by a pensioner shall not be less than the minimum pension payable under these regulations."

(o) For Appendix-I the following appendix shall be substituted, namely,

Appendix – I

(See Regulation 35)

1. The formula for updating basic pension and additional pension in respect of employees who retired during the period 01.01.1986 to 31.10.1987 shall be as under:

(1) A. (a) 50 per cent of first Rs.1000 of the average emoluments reckonable for pension — Rs.....

(b) 45 per cent of next Rs.500 — Rs.....

(c) 40 per cent of the average emoluments reckonable for pension exceeding Rs.1500 — Rs.....

Total of (a+b+c) — Rs..... (A)

B. 50 per cent of the average monthly emoluments for the last 10 months in service prior to retirement — Rs.....(B)

C. Dearness Relief at index number 600 in the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100, on basic pension calculated at (A) above, as per Table given below — Rs.....(C)

D. Total basic pension = (B)+(C) x Number of years of qualifying service (Maximum of 33 Years) / 33 — Rs.....(D)

E. Basic pension as on 01.11.1993, (Rounded off to the next higher rupee) — Rs.....(E)

(2) Special allowances to the extent of the amount ranking for making contributions to the Provident Fund in terms of the Bipartite Settlement dated 10th April, 1989 or Officers' Service Regulations, as the case may be, corresponding to the special allowances drawn at the time of retirement shall be reckoned for the purpose of additional pension.

TABLE

Rates of dearness relief worked out at index number 600 in the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series

1960=100 for all classes of employees who retired during the period 01.01.1986 to 31.10.1987:

(a) Employees in subordinate staff cadre	80.40 per cent of pension calculated at A above
(b) Employees in clerical staff cadre drawing pension upto Rs. 756/- per month.	67 per cent of pension calculated at A above.

(b) Employees in clerical staff cadre drawing pension of Rs.757/- per month and above will be eligible for dearness relief as under:

Amount of basic pension drawn Per month Rs.	The amount of dearness Relief admissible Rs.
757-796	508.00
797-804	534.00
805-824	540.00
825-844	553.00
845-864	567.00
865-884	58000
885-904	593.00
905-924	607.00
925-944	620.00
945-964	634.00
965-984	647.00
985-1004	660.00
1005-1024	674.00
1025-1044	687.00
1045-1064	701.00
1065-1084	714.00
1085 & above	727.00

(d) Employees in officer cadre shall be eligible for dearness relief as under:

(i) For those drawing basic pension upto Rs.765/- per month;	66 per cent of the amount of pension calculated at A above subject to a maximum of Rs.500/-
(ii) For those drawing basic pension from Rs.766/- to Rs.1165/- per month;	Rs.500/-
(iii) For those drawing basic pension of Rs.1166/- per month or above;	42.90 per cent of amount of pension calculated as at A above subject to a maximum of Rs.715/-.

2 The formula for updating basic pension in respect of workmen who have retired on or after the 1st day of November, 1992 but before the 1st day of November, 1993 and in respect of officers who have retired on or after the 1st day of July, 1993 but before the 1st day of May, 1994 shall be as under:

(1) Total of pay drawn as per the old scales for the month/s during the last 10 months of qualifying service.	Rs.
(2) Total of dearness allowance actually drawn or dearness allowance at 1148 points, whichever is less, for each month of pay calculated at (1) above.	Rs.
(3) Total of pay drawn as per (1) above plus total of dearness allowance drawn as per (2) above.	Rs.
(4) Total of pay drawn as per revised scales of pay for the month/s during the last 10 months of qualifying service including the month in which the employee retired.	Rs.
(5) Total of columns (3) and (4)	Rs.
(6) Average emoluments for the purpose of pension i.e., $\frac{\text{Total as per (5) above}}{10}$	Rs.
(7) Updated basic pension $\frac{\text{50\% of (6) above x Number of years of qualifying service (max. 33 years)}}{33}$	Rs.
(8) Basic Pension (Rounded off to next higher rupee)	Rs.

3. In respect of workmen who have retired on or after the 1st day of November, 1992 but before the 1st day of November, 1994 and in respect of officers who have retired on or after the 1st day of July, 1993 but before the 1st day of November, 1994 the amount of special allowances in terms of Bipartite Settlement dated 14th February. 1995 or the Officers' Service Regulations, as the case may be, corresponding to the special allowances actually drawn at the time of retirement shall be reckoned for the purpose of computation of additional pension, w.e.f. 1St November, 1994:

Provided that for the period from 1st day of November, 1992 or from the date of retirement, whichever is later, till the 31st day of October, 1994 the amount ranking for provident fund at pre-revised rates shall be reckoned for the purpose of computation of additional pension:

4. In respect of employees who have retired on or after the 1st day of November, 1994 and have drawn special allowance both at the pre-revised and revised rates during the last 10 months of service before retirement, the amount of special allowance in terms of the Bipartite Settlement dated 14th February, 1995 or the Officers' Service Regulations, as the case may be, corresponding to the pre-revised special allowance actually drawn at the time of retirement shall be reckoned for the purpose of computation of additional pension.

Note:

The amount of revised special allowance drawn on or after the 1sl day of November, 1994 shall be reckoned for computation of basic pension.

5. In respect of subordinate staff who have retired on or after the 1st day of November, 1992 and have drawn pre-revised special allowance as also those who have retired on or after the 1st day of November, 1994 and have drawn special allowance both at the pre-revised and revised rates during the last ten months of service before retirement, the amount of special allowance actually drawn at the pre-revised rates shall be reckoned for the purpose of computation of basic pension and shall draw dearness relief at the rates for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of All India Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100 .

(p) for Appendix II the following appendix shall be substituted namely,

Appendix II
(See Regulation 37)

Dearness relief on basic pension shall be as under:

(1) In the case of employees who were in the workmen cadre and who retired on or after 1st day of January, 1986, but before the 1st day of November, 1992; and in the case of employees who were in the officers' cadre and who retired on or after 1st day of January, 1986, but before the 1st day of July, 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below :

Scale of basic pension per month		The rate of dearness relief as a percentage of basic pension
(1)		(2)
(I)	Up to Rs.1250	0.67 per cent
(II)	Rs.1251 to Rs.2000	0.67 per cent of Rs.1250 plus 0.55 per cent of basic pension in excess of Rs.1250.
(iii)	Rs.2001 to Rs.2130	0.67 per cent of Rs.1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs.2000 and Rs.1250 plus 0.33 per cent of basic pension in excess of Rs.2000.
(iv)	Above Rs.2130	0.67 per cent of Rs.1250 plus 0.55 per cent of the difference between Rs.2000 and Rs.1250 plus 0.33 per cent of the difference between Rs.2130 and Rs.2000 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs.2130.

(2) In the case of employees who are in workmen cadre and who retire on or after 1st day of November, 1992; and in the case of employees who are in the officers' cadre and who retire on or after 1st day of July, 1993, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1148 points in the quarterly average of All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below:

	Scale of basic pension per month (1)	The rate of dearness relief as a percentage of basic pension (2)
(i)	Upto Rs.2400	0.35 per cent
(ii)	Rs.2401 to Rs.3850	0.35 per cent of Rs.2400 plus 0.29 per cent of basic pension in excess of Rs.2400.
(iii)	Rs.3851 to Rs.4100	0.35 per cent of Rs.2400 plus 0.29 per cent of the difference between Rs.3850 and Rs.2400 plus 0.17 per cent of basic pension in excess of Rs.3850.
(iv)	Above Rs.4100	0.35 percent of Rs.2400 plus 0.29 per cent of the difference between Rs.3850 .and Rs.2400 plus 0.17 per cent of the difference between Rs.4100 and Rs.3850 plus 0.09 per cent of basic pension in excess of Rs.4100.

(3) In the case of employees who retire on or after the 1st day of April, 1998, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 1616 points in the quarterly average of All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said four points shall be calculated in the manner given below:

	Scale of basic pension per month (1)	The rate of dearness relief as a percentage of basis pension (2)
(I)	Upto Rs.3380	0.25 per cent

(ii) Rs.3381 to Rs.5420	0.25 per cent of Rs.3380 plus 0.21 per cent basic pension in excess of Rs.3380
(iii) Rs.5421 to Rs.5770	0.25 per cent of Rs.3380 plus 0.21 per cent of the difference between Rs.5420 and Rs.3380 plus 0.12 per cent of basic pension in excess of Rs.5420
.(iv) Above Rs.5770	0.25 per cent of Rs.3380 plus 0.21 per cent of the difference between Rs.5420 and Rs.3380 plus 0.12 per cent of the difference between Rs.5770 and Rs.5420 plus 0.06 per cent of basic pension in excess of Rs.5770.

(4) Dearness relief shall be payable for the half year commencing from the 1st day of February and ending with 31st day of July on the quarterly average of the index figures published for the months of October, November and December of the previous year and for the half year commencing from the 1st day of August and ending with the 31st day of January on the quarterly average of the index figures published for the months of April, May and June of the same year.

(5) In the case of family pension, invalid pension and compassionate allowance, dearness relief shall be payable in accordance with the rates mentioned above.

(6) Dearness relief will be allowed on full basic pension even after commutation.

(7) Dearness relief is not payable on additional pension.

(8) Pensioner whose basic pension is less than minimum pension but the aggregate of basic pension and additional pension is more than the minimum pension shall draw dearness relief as applicable to minimum pension.

(q) for Appendix III, the following appendix shall be substituted namely,

Appendix III

(See Regulation 39)

The ordinary rates of family pension shall be as under:

(a) In respect of employees other than part-time employees, where the employee was in the workmen cadre and retired before 1.11.1992 or where the employee was in the officers' cadre and retired before 1.7.1993:

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family pension (2)
Upto Rs.1500	30 per cent of the 'pay' shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.375 per month.
Rs.1501 to Rs.3000	20 per cent of the 'pay' shall be the basic family pension plus 20 percent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.450 per month.
Above Rs.3000	15 per cent of the 'pay' shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.600 per month and not more than Rs.1250 per month.

(b) In respect of employees other than part-time employees, where the employee was in the workmen cadre and retired on or after 1.11.1992 or where the employee was in the officers' cadre and retired on or after 1.7.1993:

Scale of pay per month (1)	Amount of monthly Family pension (2)
Upto Rs.2870	30 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.720 per month.

Rs.2871 to Rs.5740	20 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.860 per month.
Above Rs.5740	15 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.1150 per month and a maximum of Rs.2400 per month.

(c) In respect of employees (both officers and workmen) other than part time employees retiring on or after 1.4.1998:

Scale of pay month (1)	Amount of monthly Family pension (2)
Upto Rs.4040	30 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.1015 per month.
Rs.4040 to Rs.8080	20 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 20 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and additional family pension shall not be less than Rs.1212 per month.
Above Rs. 8080	15 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension. The aggregate of basic and

additional family pension shall not be less than Rs.1616 per month and a more than 3378 per month.

Notes:

(1) Dearness relief is not payable on additional family pension.

(2) Scale of pay for the purpose of calculation of family pension as above shall be the aggregate of 'Pay' as defined in sub-clause (s) of regulation 2 and "allowances" as defined in the explanation to sub-regulation (3) of regulation 35.

(3) In the case of a part-time employee, the minimum amount of family pension and maximum amount of family pension shall be in proportion to the rate of scale wages drawn by the employee.

(4) In case the aggregate of basic family pension and additional family pension falls short of minimum pension, the pensioner may be given minimum family pension and dearness relief may be paid on such minimum family pension. However, no additional family pension shall be payable over and above the minimum family pension.

(r) for Appendix IV the following Appendix shall be substituted, namely,

Appendix IV

(See Regulation 27)

Actual service on scale wages rendered on permanent part-time basis in one week	Length of corresponding qualifying service for each year of service rendered on permanent part-time basis for calculating the amount of pension.
(1)	(2)
Six hours or more but upto 13 hours	One third of a year
More than 13 hours upto 19 hours	One half of a year
More than 19 hours but upto 29 hours	Three fourth of a year
More than 29 hours	One year

(s) after Appendix IV. the following Appendix shall be inserted, namely,

Appendix V

(See Regulation 39)

The formula for computing basic family pension and additional family pension in respect of employees who were in the service of the Bank on or after the 1st day of January, 1986 and had died while in service on or before the 31st day of October, 1987 or had retired on or before the 31st day of October, 1987 but died shall be as under:

(1) Basic Family Pension

(A) pay drawn by the deceased employee at the lime of death / retirement Rs.

(B) Basic family pension at the ordinary rate as per Table given below Rs.

(C) Dearness Relief at index 6OO in the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100 as per Table I given in Appendix – I on basic family pension calculated at (B) above. Rs.

(D) Updated basic family pension i.e., (B) + (C) Rs.

(E) Updated basic family pension as per (D) above (rounded off to next higher rupee) Rs.

(F) Basic family pension at one and half times or twice the updated basic family pension as the case may be of (D) above (rounded off to next higher rupee) Rs.

(2) Additional Family Pension

Special allowance to the extent of the amount ranking for making contributions to the Provident Fund in terms of the Bipartite Settlement dt.10.4.1989 / Officers' Service Regulations corresponding to the special allowance drawn before retirement/death shall be reckoned for the purpose of additional family pension.

Note:

(1) Dearness relief is not payable on additional family pension.

(2) In case the aggregate of updated basic family pension and updated additional family pension falls short of Rs.375, the pensioner may be paid Rs.375 with dearness relief thereon in which case no updated additional family pension shall be payable.

Table

Pay Range	Amount of family pension
Below Rs.664/-	30 per cent of 'pay' shall be the basic family pension plus 30 per cent of the allowances which counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance shall be the additional family pension with a minimum of Rs.100 and maximum of Rs.166/-

Rs 664/- and above but below Rs. 1992/-	15 per cent of 'pay' shall be the basic family pension plus 15 per cent of the allowances which counted for making contributions to Provident Fund but not for deamess allowance shall be the additional family pension with a minimum of Rs.166/- and maximum of Rs. 266/-
Rs.1992/- and above	12 per cent of 'pay' shall be the basic family pension plus 12 per cent of the allowances which counted for making contributions to Provident Fund but not for deamess allowance shall be the additional family pension with a minimum of Rs.266/- and maximum of Rs 415/-

(K.. Mukherjee)
General Manager (Personnel)

FOOT NOTE: The principle Regulations were notified in the Gazette of India (Extraordinary) on 29.9.1995 and subsequent amendments to the above UCO Bank (Employees) Pension Regulations, 1995 were published in the Gazette as per the details given below:

SL No.	Notification No.	Dated
1.	PEN 1/99	30.12.1999
2.	PEN 1/2002	30.12.2002

EMLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
New Delhi, the 13th November 2003

No. U-16/53/2002/Med.II (Guj.)—In pursuance of the Resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI(General) Regulation 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorise Dr. N. C. Gurjar. PTMR to function as Medical Authority for Khokhra centre Ahmedabad for the period of one year from 5.11.2003 to 4.11.2004 for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner(NWZ) Ahmedabad for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. (MRS.) S. SINGH
Medical Commissioner

The 14th November 2003

No. U-16/53/2002/Med.II (Guj.)—In pursuance of the Resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI(General) Regulation 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5-1983, I hereby authorise Dr. P. R. Jha PTMR, to function as Medical Authority for Bhavnagar centre Gujarat for the period of one year from 1.8.2003 to 31.7.2004 for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner(NWZ) Ahmedabad for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. (MRS.) S. SINGH
Medical Commissioner

New Delhi, the 2nd December 2003

No. U-16/53/99/Med.II (Rajasthan)—In pursuance of the Resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI(General) Regulation 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5-1983, I hereby authorise Dr. V. K. Jain, PTMR to function as Medical Authority for Bikaner, Rajasthan centre Gujarat for the period of one year from 17.11.2003 to 16.11.2004 for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner(NWZ) Ahmedabad for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. (MRS.) S. SINGH
Medical Commissioner

The 2nd December 2003

No. N-15/13/13/4/2002.P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st December, 2003 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Uttar Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Uttranchal namely:—

"Areas Comprising the Revenue village of Dhalwala and Tapovan in Pargana & Tehsil-Narendra Nagar, in the District of Tehri Garhwal".

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
HEAD OFFICE – BHAVISHYANIDHI BHAWAN

New Delhi-110066, the 28th November 2003

No. Conf.5(11)2002/PUNJAB/16829

In accordance with the provisions of Sub-paragraph (1)of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employee' Provident Fund Scheme 1952, hereinafter referred to as the "Scheme", and in supersession of the Notification No. Conf. 5(11)95/PB/81163 Dated 13.01.1998 issued by Employees' Provident Fund Organization, Head Office, New Delhi which was published in The Gazette of India, Part – III, Section - 4 on 14.02.1998, the Chairman, Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund hereby sets up a Regional Committee for the State of Punjab consisting of the following persons namely:-

Sl. No.	Name & Designation of the Member	Appointment as
1.	The Secretary to the Government of Punjab, Labour & Employment Deptt., Chandigarh.	**Chairman** [under Para 4(1)(a)]
2.	Labour Commissioner-Cum Director of Factories.	**Official Members** [under Para 4(1)(b)]
3.	Director Food & Supplies, Punjab.	
4.	Shri J.P. Singh, Dhanwantri Ayurvedic Pharmacy, 277, East Mohan Nagar, Amritsar.	**Member Employers' Representatives** [under para 4(1)(c)]
5.	Shri R.S. Sachdeva, Past President, Mohali Industries Association, Mohali, House No. 248, Sector 35-A, Chandigarh.	
6.	Shri Kartar Singh Rathaur, President, Bhartiya Mazdoor Sangh, Punjab, Quarter No. 157, Gopal Nagar, Pili Kothi, Jalandhar.	**Member Employees' Representatives** [under para 4(1)(d)]
7.	Shri Balwant Singh, President , CITU, Baba Karan Singh Cheema Bhawan, Sector 30-B, Chandigarh.	
8.	Shri Madan Lal Vyas, Ex-Chairman, Improvement Trust, 97-B, Industrial Area-A, Ludhiana –141003.	**Additional Member (Employers' Representatives)** [under proviso to para 4 (1)]
9.	Shri Niwas Katyal, 191, Shakti Nagar, Jalandhar.	

10. 11.	Shri Ram Lubhaya Bawa, B.M.S. Putalighar, Gali No. 2, Amritsar-143001. Shri Kartar Singh Rathore, B.M.S., Civil Lines, G.T. Road, Jalandhar-144001.	**Additional Member (Employees' Representatives)** [under proviso to para 4 (1)]
12. 13.	Shri A.D. Nagpal, Secretary, Hind Mazdoor Sabha, No. 1181, Sector 43-B, Chandigarh. Shri V.P. Chopra, President, Federation of Association of Small Industries of India (FASII), C/o Indo Fasterners, E-30, Focal Point, Ludhiana.	**Non-Official Member being members of Central Board of Trustees** [under para 4(1)(e)]

The Regional Provident Fund Commissioner, In-charge of Punjab Region shall be the Secretary of the Regional Committee.

The term of office of the Chairman and every member of the Regional Committee shall be three years commencing on and from the date on which their appointment is notified in the official Gazette. However, every member shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

This will come into force with immediate effect.

(AJAI SINGH)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

No. Conf.5(9)97/MH/16818

In pursuance of Sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employee' Provident Fund Scheme 1952, the Chairman Central Board of Trustees (EPF) hereby appoints Shri P.S. Sharma, Managing Director of National Rayon Corporation Ltd, Mumbai, in place of Shri S.K. Budhiraja, at serial No. 4, as a member of the Regional Committee (EPF) for the state of Maharashtra under para 4 (1) (c). Further, the name of the employees' representative under para 4(1)(d) at serial No.7 is to be read as Shri Suryakant Bagal (HMS). Accordingly, the above mentioned amendments are made in the Notification of the E.P.F.Organisation, Head Office, New Delhi vide No. Conf. 5 (9) 97/ MH/ 27085 Dated 16.072003 published (Issue Number 31) in part – III, Section - 4 of the Gazette of India on 2nd Aug. 2003.

In the said Notification under the category of Employers' and Employees' Representative as a member under para 4 (1) (c) and 4(1) (d) of the Scheme for entries against serial No. 4 and 7, the following entries shall be substituted, namely: -

Shri P.S. Sharma,
Managing Director, National Rayon Corporation Ltd.,
Ewart House, Homi Modi Street, Fort, Mumbai - 400 032.

Shri Suryakant Bagal,
(HMS), 204, Shivkrupa TCH Housing Society Ltd.,
9, Jakeria Bunder Road, Cotton Green, Mumbai - 400 033.

(AJAI SINGH)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2003
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003